UPRB010000362008

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, रायबरेली।
पीठासीन अधिकारी– (अमित पाल सिंह), (उच्चतर न्यायिक सेवा) –UP05691

Registration No. 200039/2008

सत्र परीक्षण संख्या–39/2008
उत्तर प्रदेश राज्य

प्रति

संजय प्रताप सिंह उर्फ पिन्टू पुत्र श्याम बिहारी सिंह निवासी अटावा थाना डीह, जिला रायबरेली। .... **अभियुक्त**

मुकदमा अपराध संख्या–412/2007
धारा–302/34 भारतीय दण्ड संहिता
थाना–डीह, जिला रायबरेली।

एवम्

सत्र परीक्षण संख्या–277/2008
उत्तर प्रदेश राज्य

प्रति

अजय प्रताप सिंह पुत्र स्व0 श्याम बिहारी सिंह निवासी अटावा थाना डीह, जिला रायबरेली। .... **अभियुक्त**

मुकदमा अपराध संख्या–412/2007
धारा–302/34 भारतीय दण्ड संहिता
थाना–डीह, जिला रायबरेली।

निर्णय

1– अभियुक्त संजय प्रताप सिंह के विरूद्ध, मुकदमा अपराध संख्या–412/2007 धारा 302 भारतीय दण्ड संहिता, थाना डीह, जिला रायबरेली में, पुलिस द्वारा प्रेषित आरोप पत्र (फौजदारी वाद संख्या 5523/2007) को विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रायबरेली के द्वारा, सत्र न्यायालय द्वारा परीक्षणीय पाते हुए दिनाँक 01.02.2008 को सत्र सुपुर्द किया गया, जो सत्र वाद संख्या 39/2008 के रूप में, अभियुक्त संजय प्रताप सिंह के विरूद्ध संस्थित किया गया।

2– उक्त के अतिरिक्त सह अभियुक्त अजय प्रताप सिंह के विरूद्ध, मुकदमा अपराध संख्या–412/2007 धारा 302 भारतीय दण्ड संहिता, थाना डीह, जिला रायबरेली में, पुलिस द्वारा प्रेषित आरोप पत्र (फौजदारी वाद संख्या 1240/2008) को विद्वान मुख्य

न्यायिक मजिस्ट्रेट, रायबरेली के द्वारा, सत्र न्यायालय द्वारा परीक्षणीय पाते हुए दिनाँक 28.05.2008 को सत्र सुपुर्द किया गया, जो सत्र वाद संख्या 277/2008 के रूप में, अभियुक्त अजय प्रताप सिंह के विरूद्ध संस्थित किया गया।

3– प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा/प्रार्थी चन्द्रकेश पुत्र श्री सत्य नरायन सिंह निवासी अटावां थाना डीह, जिला रायबरेली ने, सम्बन्धित थाना डीह पर इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित करायी कि "मैं प्रार्थी चन्द्रकेश पुत्र श्री सत्य नरायन सिंह निवासी अटावां थाना डीह का रहने वाला हूँ। 26/27.08.2007 की रात मैं तथा मेरी भतीजी आरती (संध्या सिंह) व मेरी पत्नी तथा बच्चे छत के ऊपर सो रहे थे। नीचे बरामदे में मेरा भतीजा अमित उम्र 15 वर्ष पुत्र इन्द्रेश सिंह सो रहे थे। साथ में मेरे पिता जी दूसरी चारपाई (बगल में) पर बरामदे में सो रहे थे। समय लगभग 12.30 बजे रात मेरे गांव के ही अजय सिंह व संजय सिंह (पिन्टू) पुत्रगण स्व0 श्याम बिहारी सिंह अपने हाथों तमंचा लिये हुए मेरे बाउंड्री वाल के अन्दर आये। आदमी की आहट पाकर हम लाग छत पर जग गये। आवाज लगाया कौन, तब तक दोनों भाइयों ने बरामदे में सोये मेरे भतीजे अमित को तमंचा से गोली मार दिया। शोर किया परिवाद के व गांव के बहुत से लोग चिल्लाकर दौड़े। उजेली रात थी तथा मेरे बरामदे में बल्ब चल रहा था। हम लोगों ने दोनो को भलीभांति पहचाना। में अपने भतीजे को रायबरेली हास्पिटल उपचार हेतु ले जा रहे थे। साथ में परशदेपुर चौकी का श्री राम बहादुर ओझा सिपाही भी साथ में हो लिया था। रायबरेली अस्पताल पहुंचते पहुंचते मेरे भतीजे अमित की मृत्यु हो गयी। लाश डाक्टर द्वारा रायबरेली मरचुरी में रखा दिया।''

4– उक्त तहरीर के आधार पर दिनाँक 27.08.2007 को समय 2.45 ए0एम0 पर थाना डीह, जिला रायबरेली पर अभियुक्तगण अजय सिंह व संजय सिंह (पिन्टू) के विरूद्ध मुकदमा अपराध संख्या 412/2007 धारा 302 भारतीय दण्ड संहिता पंजीकृत किया गया। विवेचना अमल में लायी गयी। बाद विवेचना उक्त अपराध संख्या 412/2007 में अभियुक्त संजय प्रताप सिंह उर्फ पिन्टू के विरूद्ध आरोप पत्र 105/2007 दिनांक 27.11.2007 अंतर्गत धारा 302 भारतीय दण्ड संहिता प्रेषित किया गया, जिस पर विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायबरेली द्वारा दिनाँक 30.11.2007 को प्रसंज्ञान लिया गया। मामले की अग्रिम विवेचना पूर्ण कर अपराध संख्या 412/2007 अंतर्गत धारा 302 भारतीय दण्ड में सह अभियुक्त अजय प्रताप सिंह के विरूद्ध आरोप पत्र संख्या 105ए/2008 दिनांक 17.03.2008, धारा 302 भारतीय दण्ड संहिता प्रेषित किया गया, जिस पर विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायबरेली द्वारा दिनाँक 03.04.2008 को प्रसंज्ञान लिया गया।

5– प्रकरण सत्र सुपुर्द होने के पश्चात दिनाँक 10.04.2008 को तत्कालीन विद्वान सत्र न्यायाधीश, रायबरेली द्वारा सत्र परीक्षण संख्या 39/2008 राज्य प्रति संजय प्रताप सिंह उर्फ पिन्टू में अभियुक्त संजय प्रताप सिंह उर्फ पिन्टू के विरूद्ध धारा 302 भारतीय दण्ड संहिता का आरोप विरचित किया गया। अभियुक्त के द्वारा अपने विरूद्ध विरचित आरोप से इन्कार किया गया तथा विचारण की मांग की गयी। उक्त आरोप को विद्वान सत्र न्यायाधीश द्वारा दिनाँक 03.09.2008 को संशोधित करते हुए धारा 302/34 भारतीय दण्ड संहिता का आरोप विरचित किया गया। दिनांक 03.09.2008 को तत्कालीन विद्वान सत्र न्यायाधीश, रायबरेली द्वारा सत्र परीक्षण संख्या 277/2008 राज्य प्रति अजय प्रताप सिंह में अभियुक्त अजय प्रताप सिंह के विरूद्ध धारा 302/34 भारतीय दण्ड संहिता का आरोप विरचित किया गया। अभियुक्त के द्वारा अपने विरूद्ध विरचित आरोप से इन्कार किया गया तथा विचारण की मांग की गयी।

6– उक्त दोनों सत्र परीक्षण, मुकदमा अपराध संख्या–412/2007 धारा 302 भारतीय दण्ड संहिता, थाना डीह, जिला रायबरेली से सम्बन्धित होने के कारण तत्कालीन विद्वान सत्र न्यायाधीश द्वारा दिनॉक 03.09.2008 को एक ही घटना एवं एक ही अपराध से सम्बन्धित होने के कारण सत्र परीक्षण संख्या 39/2008 राज्य प्रति संजय प्रताप सिंह व सत्र परीक्षण संख्या 277/2008 राज्य प्रति अजय प्रताप सिंह को एकीकृत किया तथा सत्र परीक्षण संख्या 39/2008 राज्य प्रति संजय प्रताप सिंह की पत्रावली को अग्रेतर वाद निश्चित किया। चूंकि दोनों सत्र वाद एकीकृत किये जा चुके हैं तथा सम्पूर्ण साक्ष्य भी सत्र परीक्षण संख्या 39/2008 राज्य प्रति संजय प्रताप सिंह में लेखबद्ध की गयी है, अतः मूल निर्णय सत्र परीक्षण संख्या 39/2008 राज्य प्रति संजय प्रताप सिंह की पत्रावली में पारित किया जा रहा है। निर्णय की एक प्रति सत्र परीक्षण संख्या 277/2008 राज्य प्रति अजय प्रताप सिंह की पत्रावली पर रखी जाएगी।

7– अभियोजन पक्ष की ओर से अपने कथानक के समर्थन में मौखिक साक्ष्य में निम्न साक्षी परीक्षित कराये गये हैं:–

i–	पी0 डब्लू0 1	चन्द्रकेश सिंह	(वादी मुकदमा/चक्षुदर्शी साक्षी)
ii–	पी0 डब्लू0 2	दिलीप सिंह	(स्वतंत्र साक्षी ग्राम प्रधान)
iii–	पी0 डब्लू0 3	जयकेश	(स्वतंत्र साक्षी)
iv–	पी0 डब्लू0 4	डा0 एम 0 के0 गुप्ता	(पोस्टमार्टमकर्ता)
v–	पी0 डब्लू0 5	उप निरीक्षक विनोद कुमार	(लेखक चिक व जी0 डी0)
vi–	पी0 डब्लू0 6	निरीक्षक बलराम मिश्र	(विवेचक प्रथम)
vii–	पी0 डब्लू0 7	श्रीमती निशा सिंह	(चक्षुदर्शी साक्षी)

viii– पी0 डब्लू0 8 आरती उर्फ संध्या सिंह (चक्षुदर्शी साक्षी)

ix– पी0 डब्लू0 9 उपनिरीक्षक श्यामकरन सिंह (पंचायतनामाकर्ता)

8– अभियोजन साक्षीगण द्वारा साक्ष्य के माध्यम से निम्न प्रपत्र साबित किये गये हैंः–

i–	तहरीर	प्रदर्श क–1, (पी0 डब्लू0 1)
ii–	लाश सुपुर्दगीनामा	प्रदर्श क–2, (पी0 डब्लू0 1)
iii–	पंचायतनामा	प्रदर्श क–3, (पी0 डब्लू0 2)
iv–	पोस्टमार्टम रिपोर्ट	प्रदर्श क–4, (पी0 डब्लू0 4)
v–	नकल रपट	प्रदर्श क–5 (पी0 डब्लू0 5)
vi–	प्रथम सूचना रिपोर्ट	प्रदर्श क–6 (पी0 डब्लू0 5)
vii–	नक्शा नजरी	प्रदर्श क–7 (पी0 डब्लू0 6)
vii–	फर्द खूनालूदा व सादी मिट्टी	प्रदर्श क–8 (पी0 डब्लू0 6)
viii–	गिरफ्तारी प्रपत्र	प्रदर्श क–9 व क–10 (पी0 डब्लू0 6)
ix–	जी0 डी0	प्रदर्श ख–1 (पी0 डब्लू0 6)
x–	फोटो नाश	प्रदर्श क–11 (पी0 डब्लू0 9)
xi–	चालान नाश	प्रदर्श क–12 (पी0 डब्लू0 9)
xii–	चिट्ठी सी0 एम 0 एस 0	प्रदर्श क–13 (पी0 डब्लू0 9)
xiii–	चिट्ठी आर 0 आइ 0	प्रदर्श क–14 (पी0 डब्लू0 9)
xiv–	आरोप पत्र	प्रदर्श क–15 व प्रदर्श क–16 (पी0 डब्लू0 9)

09– अभियोजन साक्षी क्रमांक 1 के रूप में वादी मुकदमा चन्द्रकेश सिंह परीक्षित हुए हैं। साक्षी द्वारा अपनी सशपथ मुख्य परीक्षा दिनांकित 20.07.2011 में यह कथन किया गया है कि ''घटना दिनाँक 26/27.08.2007 की रात लगभग 12.30 बजे की है। मैं, मेरे बच्चे और निशा सिंह भतीजी, संध्या सिंह उर्फ आरती सिंह, हम लोग छत पर सो रहे थे। मेरा भतीजा बरामदे में चारपायी पर लेटा था। भतीजे का नाम अमित सिंह है। मेरे भतीजे की उम्र घटना के समय 15 साल की थी। बगल में दूसरी चारपाई पर मेरे पिताजी सत्यनरायन सिंह लेटे थे। संजय, अजय मेरी बाउंड्री वाल के अंदर आये और यह लोग हाथों में तमन्चा लिये आये थे। आदमी की आहट पाकर मैं जाग गया और बोला कि संजय, अजय मेरी बाउंड्री के अंदर कैसे आये। इतने में दोनों लोगों ने मेरे भतीजे को गोली मार दिया। उजेली रात थी। रक्षा बन्धन के एक दिन पहले की बात थी। पूरी उजेरी रात थी। बरामदे में बिजली जल रही

थी। मैंने शोर मचाया तब सारे लोग जग गये। मेरे पिताजी ने भी शोर मचाये, संजय अजय गोली मारकर जा रहे थे। तुमने ठीक नहीं किया। मैंने घटना को उजाली रात व बल्ब की रोशनी में देखा था। संजय और अजय मेरे परिवार के ही हैं। पट्टीदार हैं। मेरा इनका जमीनी विवाद इन लोगों के पिताजी की काल से चल रहा है। मुझे स्लेब वगैरह यह लोग नहीं डालने दे रहे थे। मेरा भतीजा मेरा साथ देता था। मैं घर के बाहर चला जाता था तो यह घर देखता था। गांव में मेरे घर के बगल रामगोपाल सिंह का खेत है। घटना को इन्होंने भी देखा है। इसके अलावा निशा सिंह, संध्या सिंह और गांव के बहुत से लोग पहुंच गये थे। गोली मारने के बाद दोनों मुल्जिमान बाउंड्री फांदकर रामगोपाल के चक होकर भाग गये। अमित को लेकर हम लोग रायबरेली अस्पताल आये। रास्ते में रामचन्द्र ओझा सिपाही भी साथ में हो लिये थे। जिला अस्पताल के डाक्टर ने मृत घोषित कर दिया। लाश को अस्पताल की मर्चुरी में रख दिया। मैं रोये गये और अस्पताल में बैठकर अप्लीकेशन लिखवाये और उस पर दस्तखत बनाये। दरख्वास्त लिखने के बाद डीह थाना गये। दरख्वास्त अपने दादा के लड़के शिव शंकर से लिखवाया था। जो बोला था, लिखा था। पढ़कर सुनाया था। साक्षी को शामिल मिसिल कागज संख्या 3 क/2 पढ़कर सुनाया व दिखाया गया तो साक्षी ने उपरोक्त तहरीर की पुष्टि की तथा उस पर अपने हस्ताक्षर की पुष्टि की। इस पर प्रदर्श क–1 डाला गया। मैंने दरोगा जी को घटना स्थल दिखाया था। दरोगा जी ने मेरे बयानात लिये थे। लाश का पोस्टमार्टम हुआ था। पोस्टमार्टम के बाद लाश मेरी सुपुर्दगी में दिया था। शामिल मिसिल कागज संख्या 12 क पर मेरे व गवाहान के हस्ताक्षर हैं। इस पर प्रदर्श क–2 डाला गया।''

10– अभियोजन साक्षी क्रमांक 2 के रूप में दिलीप सिंह परीक्षित हुए हैं। साक्षी द्वारा अपनी सशपथ मुख्य परीक्षा दिनांकित 26.04.2019 में यह कथन किया गया है कि ''घटना दिनाँक 26/27 अगस्त लगभग 1.00 बजे की है। मैं अपने घर पर मौजूद था। गोली चलने की आवाज सुनकर व खबर पाकर मैं चन्द्रकेश के घर पहुंचा था। मैं गांव का प्रधान हूँ। जब वहाँ पहुंचा तो देखा इन्द्रकेश के लड़के अमित सिंह को गोली लगी थी। वहाँ लोग कह रहे थे कि अजय व संजय ने गोली मारी है। अमित खून ने लतफत पड़ा था। मैंने गांव से गाड़ी मार्शल बुलायी थी और जिला अस्पताल रायबरेली लेकर आये थे। अमित ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया था। जिला अस्पताल लाने पर डाक्टर ने अमित को मृत घोषित कर दिया था। शव को मर्चुरी में रखा गया था। कोतवाली नगर की पुलिस ने पंचनामा कराया था। मैंने पंचनामा में दस्तखत किये थे। हस्ताक्षर की पुष्टि किया, जिस पर प्रदर्श क–3 डाला गया।''

11– अभियोजन साक्षी क्रमांक 3 के रूप में जयकेश परीक्षित हुए हैं। साक्षी द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा दिनांकित 26.04.2019 में यह कथन किया गया है कि "घटना दिनाँक 26/27 अगस्त 2007 रात लगभग 12.30 बजे की है। इन्द्रकेश सिंह के लड़के अमित

सिंह को गोली लगी थी। मैंने सुना। मौके पर गये थे। जब पहुंचा तो गांव के बहुत से लोग मौके पर मौजूद थे। अमित को गोली लगी थी। वह खून से लतफत पड़ा था। घटना स्थल से मेरा घर 600–700 मीटर दूर है। मैं चोटहिल को लेकर साथ में अस्पताल गया था। जिला अस्पताल पहुंचने पर डाक्टर ने अमित को मृत घोषित कर दिया था। लाश को मर्चुरी में रखवा दिया था। दूसरे दिन सुबह पंचनामा हुआ था। मैंने पंचनामा में अपने हस्ताक्षर बनाये थे। पंचनामा मेरे सामने हुआ था। मेरे सामने लाश को सील किया गया था। इसके बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया था। दरोगा जी ने मेरा बयान लिया था। गवाहान पंचनामा पर बने अपने हस्ताक्षर को देखकर पुष्ट किया, जिस पर प्रदर्श क–3 पड़ा है।''

12– अभियोजन साक्षी क्रमांक 4 के रूप में डा0 एम0के0 गुप्ता परीक्षित हुए हैं। साक्षी द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा दिनांकित 16.12.2019 में यह कथन किया गया है कि ''दिनाँक 27.08.2007 को मेरी ड्यूटी पोस्टमार्टम हाउस रायबरेली में थी। उस दिन 3.00 पी0एम0 पर मृतक अमित सिंह उम्र 16 वर्ष पुत्र इन्द्रेश सिंह निवासी अटावा, थाना डीह रायबरेली का शव थाना कोतवाली नगर रायबरेली के कां0 अमृतलाल, जगदीश कुमार लेकर आये थे, जिसका पोस्टमार्टम मेरे द्वारा किया गया था। शव सील बन्द, सर्वमुहर दशा में लाया गया था। मृतक के शव का परीक्षण मेरे व डाक्टर एस0आर0 सिंह द्वारा किया गया था। शव लगभग 1 दिन पुराना था। मृतक औसत कद काठी का था। आंखें व मुंह बन्द थे। मृत्यु के पश्चात की अकड़न शरीर के ऊपरी व निचले हिस्से में मौजूद थी। मृतक के शरीर पर मृत्युपूर्व की निम्नलिखित चोटें पायी गयी थीः–

1. फायरआर्म बोन आफ इंट्री अण्डाकार आकार में था, जिसका आकार 2 x 1.8 से0मी0x मसलडीप सीने के बायीं तरफ ऊपरी हिस्से में था। बायीं एग्जिला के 2 से0मी0 नीचे।
2. फायरआर्म बोन आफ एग्जिट 7 x 3 से0मी0 x मसलडीप सीने के पीछे बायीं तरफ कंधे से 10 से0मी0 नीचे। घाव नं0 1 घाव नं0 2 से सम्बन्धित से।
3. फायरआर्म बोन आफ इंट्री 1 x 1 से0मी0 x कैविटी आन आफ बैक साइड आफ चेस्ट 8 से0मी0 नीचे और घाव नं0 2 के बीच में तथा 2 से0मी0 नेटरल आकमिड लाइन बैक आफ चेस्ट बर्निंग, चेरिंग और टैटोइंग मौजूद थी।
4. फायरआर्म बोन आफ इंट्री 1 x 0.5 से0मी0 x मसलडीप, बांयी हथेली के पृष्ठ भाग पर बायीं तर्जनी के आधार से 2 से0मी0 ऊपर।
5. फायरआर्म बोन आफ इग्जिट 2 x 1.5 से0मी0 मसलडीप बायीं हथेली के पृष्ठ भाग पर बायें अंगूठे के आधार से 2 से0मी0 ऊपर घाव नं0 4 घाव नं0 5 से सम्बन्धित है।

13– आंतरिक परीक्षण में थोरोक्स मृतक की बायीं तरफ की नवीं पसली टूटी हुयी थी। जहाँ पर वह इस्टर्नम से जुड़ती है। प्लूरा लेसरेटेड घाव दाहिने साइड दाहिना फेफड़ा कंजेस्टेड था व बायां फेफड़ा लेसरेटेड व कंजेस्टेड था। हृदय का बायां हिस्सा खाली था तथा दाहिना हिस्सा भरा हुआ था। मृतक के शरीर में सीने के सामने बायीं तरफ से बुलेट रिकवर की गयी थी, जो कि स्किन और सब म्यूटेनियस टिशू के नीचे थी तथा जहाँ पर नवीं पसली स्टर्नम से जुड़ती है। बुलेट का ट्रैक घाव नं0 3 से ऊपर की तरफ प्लूरा व बायें फेफड़े को क्षतिग्रस्त करते हुए जहाँ नवीं पसली स्टर्नम से जुड़ती है तक ट्रेस की गयी। प्लूरा कैविटी में लगभग 1 लीटर खून पाया गया, जो इस घाव के कारण जमा हुआ था। रिकवर की गयी बुलेट को एक लिफाफे में रखकर सील बन्द करके कां0 के माध्यम से, जो मृतक के शव को लाये थे, कां0 जगदीश विश्वकर्मा के माध्यम से एस0पी0 रायबरेली को भेजा गया था। मृतक के आमाशय में लगभग 100 ग्राम भोज्य पदार्थ पाया गया। मेरी राय में अमित सिंह की मृत्यु का कारण हेमरेज एण्ड शाक जो मृत्यु पूर्व आयी फायर आर्म इंजरीज् से होना पाया गया। मेरे सहयोगी डा0 एस0आर0 सिंह ने परीक्षण रिपोर्ट पर अपनी सहमति व्यक्त करते हुए हस्ताक्षर बनाये हैं। पत्रावली में शामिल कागज संख्या 9क/10 पोस्टमार्टम रिपोर्ट मेरे लेख व हस्ताक्षर में है, जिस पर प्रदर्श क–4 डाला गया।

14– अभियोजन साक्षी क्रमांक 5 के रूप में एस0आइ0 विनोद कुमार परीक्षित हुए हैं। साक्षी द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा दिनांकित 12.03.2020 में यह कथन किया गया है कि ''दिनाँक 27.08.2007 को मैं थाना डीह रायबरेली में कां0/मोहर्रिर के पद पर कार्यरत था। इसी दिन चन्द्रकेश बहादुर सिंह पुत्र सत्य नरायण सिंह निवासी अटावा थाना डीह रायबरेली अपने साथ एक किता हस्तलिखित तहरीर लेकर थाने पर आये थे, जिस पर थानाध्यक्ष के मौखिक निर्देश पर मुकदमा अपराध संख्या 412/2007 अंतर्गत धारा 302 भारतीय दण्ड संहिता विरूद्ध अजय सिंह, संजय सिंह उर्फ पिंटू पुत्रगण स्व0 श्याम बिहारी सिंह निवासीगण ग्राम अटावा थाना डीह रायबरेली के विरूद्ध पंजीकृत किया था, जिसका तस्किरा मेरे द्वारा जी0डी0 में नकल रपट संख्या 3 समय 2.45 बजे रोजनामचा आम दिनांकित 27.08.2007 थाना डीह जनपद रायबरेली पर किया गया है। पत्रावली में शामिल कागज संख्या 14क/2 नकल रपट मेरे लेख व हस्ताक्षर में है, जिस पर प्रदर्श क–5 डाला गया। पत्रावली में शामिल कागज संख्या 3क/1 प्रथम सूचना रिपोर्ट मेरे लेख व हस्ताक्षर में है, जिस पर प्रदर्श क–6 डाला गया।''

15– अभियोजन साक्षी क्रमांक 6 के रूप में निरीक्षक (रिटायर्ड) बलराम मिश्र परीक्षित हुए हैं। साक्षी द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा दिनांकित 10.02.2023 में यह कथन किया गया है

कि ''वादी मुकदमा चन्द्रकेश सिंह निवासी अटावा थाना डीह जिला रायबरेली की तहरीर पर मुकदमा अपराध संख्या 412/2007 धारा 302 भारतीय दण्ड संहिता दिनाँक 27.08.2007 को समय 2.45 ए0 एम0 बजे पंजीकृत होकर विवेचना मुझ थानाध्यक्ष द्वारा प्रारम्भ की गयी थी। दौरान विवेचना मेरे द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी तैयार की गयी तथा घटना स्थल से खूनालूद व सादी मिटाटी लेकर उसकी फर्द समक्ष गवाहान तैयार की गयी। साक्षी ने पत्रावी में शामिल कागज संख्या 7क नक्शा नजरी को देखकर उसके अपने लेख व हस्ताक्षर में होने की पुष्टि की जिस पर प्रदर्श क–7 डाला गया तथा कागज संख्या 8क फर्द बाबत कब्जा पुलिस में लेने खूनालूद व सादी मिट्टी को देखकर उसके, उप निरीक्षक एस0के0 दीक्षित के लेख व अपने हस्ताक्षर में होने की पुष्टि की जिस पर प्रदर्श क–8 डाला गया। पत्रावली में शामिल संख्या 19ख/1 तथा 19ख/2 गिरफ्तारी प्रपत्र अभियुक्तगण लालता सिंह व अभियुक्त संजय प्रताप सिंह के अपने हस्ताक्षर में होने की पुष्टि की जिसमें 19ख/1 पर प्रदर्श क–9 तथा 19ख/2 पर प्रदर्श क–10 डाला गया। माल मुकदमा खूनालूद व सादी मिट्टी परीक्षण हेतु क्षेत्राधिकारी के माध्यम से विधि विज्ञान प्रयोगशाला महानगर लखनऊ भेजा गया। मेरे द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 412/2007 धारा 302 भारतीय दण्ड संहिता थाना डीह से सम्बन्धित खूनालूद व सादी कथरी का टुकड़ा जिस पर मृतक सोया था, का नमूना लिया गया था, जिन्हें अलग–अलग सील बन्द व सर्व मोहर किया गया। मेरा स्थानांतरण हो जाने के कारण अग्रेतर विवेचना अन्य अधिकारियों द्वारा की गयी।''

16– अभियोजन साक्षी क्रमांक 7 के रूप में श्रीमती निशा सिंह परीक्षित हुयी हैं। साक्षी द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा दिनांकित 18.10.2023 में यह कथन किया गया है कि ''घटना सन् 2007 की है। अगस्त महीने की है। छब्बीस–सत्ताइस अगस्त की घटना है। घटना रात की है। रात में हम लोग छत पर लेटे थे। फायर की आवाज हुयी। मेरे दरवाजे फायर हुआ। फायर संजय और अजय ने किया। दो फायर हुए। मैंने संजय और अजय को भागते हुए देखा है। सड़क की तरफ भागते हुए जाते हुए देखा। मैंने अपने दरवाजे भतीजा अमित को खून से लथपथ देखा था। अमित को अस्पताल लेकर गये थे। कौन–कौन अस्पताल लेकर गया था, याद नहीं है। अमित की रास्ते में ही मृत्यु हो गयी थी। पुलिस आयी थी। पुलिस ने मुझसे कुछ पूछा था या नहीं, इस समय याद नहीं है। पुलिस मेरे घर आयी थी। मैंने दरोगा जी को कुछ बताया था या नहीं, याद नहीं है।''

17– अभियोजन साक्षी क्रमांक 8 के रूप में आरती उर्फ संध्या सिंह परीक्षित हुयी हैं। साक्षी द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा दिनांकित 26.10.2023 में यह कथन किया गया है कि ''घटना 26/27.08.2007 की रात साढ़े बारह बजे की है। उस रात मैं और मेरे चाचा

चन्द्रकेश सिंह, उनके दो बच्चे और मैं छत पर लेटे थे। मेरी चाची वहीं पर थी। मेरे चाचा को कुछ आहट हुयी थी। मेरा घर बन रहा था। बांस का गेट लगा दिया गया था। तभी आहट सुनकर उन्होंने देखा कि संजय और अजय दिखायी दिये। उनके हाथ में तमंचा था। जब तक उन्होंने पूछा कि संजय अजय तुम यहाँ कहाँ और शोर मचाया, तब हम लोग नीचे उतरे तब ये लोग फायर कर चुके थे। हम लोग बरामदे का मेन गेट खोलकर नीचे उतरे तो देखा कि ये लोग मेरे भाई अमित सिंह को मारकर बाउन्ड्री की तरफ राम गोपाल सिंह के खेत की तरफ कूदकर भाग रहे थे। हम लोगों ने पकड़ने की कोशिश तो इन लोगों ने कहा कि जो इधर आयेगा उसे गोली मार देंगे। हम लोग अपने भाई की तरफ बरामदे में आये तो देखा कि मेरा भाई बिस्तर पर खून से लथपथ पड़ा है। उस समय मेरे साथ मेरे चाचा चन्द्रकेश सिंह उनकी पत्नी निशा सिंह, उनके बच्चे प्रिंसी और प्रिन्सू थे। तभी मौके पर हम लोगों के दरवाजे पर गश्त वाली पुलिस आयी थी। हम लोग अपने भाई की हालत देखकर रो पीट रहे थे। ''बयान देते समय गवाह रोने लगी'' हम लोग अपने भाई को लेकर अस्पताल गये। मेरा भाई रास्ते में ही खत्म हो गया था। डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हम लोग पंचनामा और पोस्टमार्टम के बाद घर आ गये। दरोगा जी ने मेरा बयान लिया था। मैंने घटना के बारे में पूरी बात दरोगा जी को बताया था। मुल्जिमान से हमारा पुराना घर की सहन का झगड़ा था। पुलिस जब मेरे घर पर आयी थी, उस समय मैं अपने घर पर थी।''

18– अभियोजन साक्षी क्रमांक 9 के रूप में उप निरीक्षक (रिटायर्ड) श्याम करन सिंह परीक्षित हुए हैं। साक्षी द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा दिनांकित 05.04.2025 में यह कथन किया गया है कि ''दिनाँक 27.08.2007 को मैं थाना कोतवाली नगर जनपद रायबरेली में उप निरीक्षक के पद पर तैनात था। दिनाँक 27.08.2007 को समय 6.00 बजे मृतक अमित सिंह पुत्र इन्द्रकेश सिंह निवासी अटवा थाना डीह जनपद रायबरेली की मृत्यु की सूचना पर मेरे द्वारा जिला अस्पताल रायबरेली में मृतक अमित सिंह की लाश का पंचायतनामा 27.08.2007 को समय 10.10 बजे प्रारम्भ किया गया था। बाद नियुक्त पंचान मृतक के शव का परीक्षण किया गया था, जिसका अंकन मेरे द्वारा पंचायतनामा पर किया गया था। मेरे द्वारा राय पंचान ली गयी थी, जिसका तस्करा पंचायतनामा पर करने के पश्चात पंचान ने हस्ताक्षर पंचनामा पर कराये थे तथा अपनी राय भी पंचायतनामा पर अंकित किया था। मेरे द्वारा पंचायतनामा की कार्यवाही के पश्चात मृतक के शव को सील सर्व मोहर कर वास्ते पोस्टमार्टम कां0 अमृतलाल व कां0 जगदीश कुमार के साथ पोस्टमार्टम हाउस भेजा था। पंचायतनामा की कार्यवाही 27.08.2007 समय 13.15 बजे समाप्त की गयी थी। साक्षी ने पत्रावली में शामिल कागज संख्या 9क/1 ता 9क/2 पंचायतनामा को देखकर उसको अपने लेख व हस्ताक्षर में होने की पुष्टि किया, जो पूर्व से प्रदर्श क–3 के रूप में

साबित है। कागज संख्या 3क/3 फोटो नाश कागज संख्या 9क/10 चालान नाश के अपने लेख व हस्ताक्षर में होने की पुष्टि किया, जिन पर क्रमशः प्रदर्श क–11 व प्रदर्श क–12 डाला गया। साक्षी ने पत्रावली में शामिल कागज संख्या 9क/6 चिट्ठी सी0 एम0 एस0 व कागज संख्या 9क/7 चिट्ठी आर0 आइ0 को देखकर उनके अपने लेख व हस्ताक्षर में होने की पुष्टि किया जिन पर क्रमशः प्रदर्श क–13 व प्रदर्श क–14 डाला गया। साक्षी ने कथन किया कि वह प्रभारी निरीक्षक कन्हैया लाल सोनकर थाना महराजगंज जनपद रायबरेली के लेख व हस्ताक्षर से भलीभांति परिचत है। साक्षी ने पत्राावली में शामिल कागज संख्या 6क आरोप पत्र को देखकर उसके प्रभारी निरीक्षक कन्हैया लाल सोनकर के लेख व हस्ताक्षर में होने की पुष्टि किया, जिस पर प्रदर्श क–15 डाला गया। साक्षी ने यह भी कथन किया कि वह तत्कालीन एस0एच0ओ0 महराजगंज अमरेन्द्र नाथ बाजपेयी के साथ जनपद रायबरेली में नियुक्त रहा है तथा उनके लेख व हस्ताक्षर से भलीभांति परिचित है। साक्षी ने कथन किया कि पत्रावली में शामिल कागज संख्या 9क आरोप पत्र संख्या 105ए/8 दिनाँकित 17.03.2008 अमरेन्द्र नाथ बाजपेयी के लेख व हस्ताक्षर में है, जिसकी मैं पुष्टि करता हूँ, जिस पर प्रदर्श क–16 डाला गया। पंचायतनामा की कार्यवाही के सम्बन्ध में विवेचक द्वारा मेरा बयान लिया गया था। मैंने विवेचक को पंचायतनमाा की कार्यवाही के सम्बन्ध में अपना बयान दिया था।''

19– अभियुक्तगण संजय प्रताप सिंह उर्फ पिंटू सिंह व अजय प्रताप सिंह का बयान अंतर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता अंकित किया गया। अभियुक्तगण ने अपने बयान अंतर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता में अभियोजन कथानक को गलत बताया तथा कहा कि ऐसी कोई घटना नहीं घटी। पी0 डब्लू0 1 चन्द्रकेश सिंह द्वारा मुकदमा लिखाने व गलत बयान देने का कथन किया। पी0 डब्लू0 2 दिलीप सिंह द्वारा पार्टीबंदी के कारण झूठा बयान देने व पी0 डब्लू0 5 द्वारा एंटीटाइम तहरीर के आधार पर एंटीटाइम चिक किता कर जी0 डी0 का इंद्राज किया जाना तथा विवेचक द्वारा गलत विवेचना के आधार पर आरोप पत्र दाखिल किये जाने का कथन किया तथा पी0 डब्लू0 7 श्रीमती निशा सिंह व पी0 डब्लू0 8 आरती उर्फ संध्या सिंह को मृतक के परिवार का होना तथा पी0 डब्लू0 9 निरीक्षक श्याम करन सिंह द्वारा खाना पूर्ति के उद्देश्य से अभियोजन से प्रभावित होकर द्वितीयक साक्ष्य दिये जाने का कथन किया। अभियुक्त अजय प्रताप सिंह ने यह भी कथन किया कि "मैं निर्दोष हूँ। घटना के समय मैं अयोध्या में सरकारी ड्यूटी पर था। साक्षीगण के बयान में विरोधाभास है। मुकदमा रंजिशन विधिक राय लेकर लिखाया गया है।" अभियुक्त संजय प्रताप सिंह ने यह भी कथन किया कि "मैं निर्दोष हूँ। मुझे रंजिशन झूठा फंसाया गया है।" अभियुक्तगण द्वारा बचाव में साक्ष्य दिये जाने का कथन किया गया।

20– बचाव पक्ष की ओर से अपनी सफाई में मौखिक साक्ष्य में निम्न साक्षी परीक्षित कराये गये हैंः–

i– डी0 डब्लू0 1 यज्ञ नरायन तिवारी

ii– डी0 डब्लू0 2 इंस्पेक्टर ब्रह्म जीत सिंह

iii– डी0 डब्लू0 3 अजय प्रताप सिंह

21– बचाव साक्षीगण द्वारा अपने साक्ष्य के माध्यम से निम्न प्रपत्र साबित किये गये हैंः–

i–	अजय प्रताप सिंह की ड्यूटी से संबंधित मूल दस्तावेज	प्रदर्श ख–2 ता प्रदर्श–ख 8, (डी0 डब्लू0 2)
ii–	विद्युत उपकेन्द्र डीह की दिनाँक 26.08.2007 व 27.08.2007 तक के रोस्टर की प्रतियाँ	प्रदर्श ख–9 ता प्रदर्श ख–11 (डी0 डब्लू0 2)

22– बचाव साक्षी क्रमांक 1 के रूप में यज्ञ नरायन तिवारी परीक्षित हुए हैं। साक्षी द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा दिनांकित 18.02.2026 में यह कथन किया गया है कि ''मैं रिटायर्ड हे0 कां0 सिविल पुलिस सी0 पी0 नं0 58 हूँ। मैं वर्ष 2007 में थाना जयसिंह पुर जनपद सुल्तानपुर में बतौर कां0 के पद पर तैनात था। मेरी वर्ष 2007 में सावन मेला झूला अयोध्या फैजाबाद में दिनाँक 13.08.2007 से मेला समाप्त तक लगी थी और मैं वहाँ ड्यूटी में तैनात था। मेरी ड्यूटी सावन झूला मेला अयोध्या में मो0 पार्टी के रूप में चौधरी चरण घाट से बरादरी घाट तक लगी थी। मेरे साथ एस 0 आइ 0 ब्रहम्हजीत सिंह हेड कां0 गजराज सिंह, कां0 अजय प्रताप सिंह व मैं था। मेरी ड्यूटी 26.08.2007 को भी थी। मैं ड्यूटी पर मौजूद था। मेरे साथ ड्यूटी पर उस दिन उपरोक्त लोग मौजूद थे। मेरी ड्यूटी उस दिन सुबह चार बजे से शाम चार बजे तक थी। ड्यूटी में हम चारों लोग साथ मौजूद थे। हम लोग ड्यूटी करने के बाद नया घाट स्थित बैरक में चाय पानी करने के बाद कुछ देर आराम किया फिर हम लोग टहलने घूमने के बाद रात 10 बजे खाना खाने होटल में गये थे। खाना पीना खाकर 11 बजे दिन होटल में गये थे। खाना पीना खाकर 11 बजे तक बैरक वापस आ गये थे। मेरे साथ खाने खाने में अजय प्रताप व उपरोक्त सभी लोग थे। फिर हम लोग उसी बैरिक में बातचीत कर रहे थे। अजय प्रताप करीब 11.30 बजे सो गये थे। उसी बैरिक में जब उपरोक्त तीनों लोग बैरिक में सो गये थे तब 20–25 मिनट बाद मय भी सो गया था। मेरी ड्यूटी सुबह चार से फिर थी। इस क्रम में हम चारों लोग मौजूद थे। मैं 27/27 की रात को ढाई तीन बजे सुबह उठा गया। देखा तो सभी लोग सो रहे थे। मैंने उपरोक्त तीनों लोगों को जगाया

कि ड्यूटी पर चलना है, उठकर तैयार हो। इसके बाद हम चारों लोग जिसमें अजय प्रताप सिंह जाग गये थे। स्नान पूजा पाठ करने के बाद तैयार होकर पौने चार बजे ड्यूटी स्थल पर पहुंच गये। हाजिर अदालत मुल्जिमन अजय प्रताप को देखकर गवाह ने कहा कि यही अजय प्रताप सिंह थे, जो मेरे साथ 26/27 की रात में थे ड्यूटी में थे एवम् 13.08.2007 से अग्रिम आदेश तक मेरे साथ सावन झूला मेला में ड्यूटी पर थे। दौरान विवेचना एस0ओ0 बलराम मिश्रा थाना डीह द्वारा दिनांक 28.08.2007 को मेरा बयान ड्यूटी स्थल पर आकर लिया, जिसमें मैंने उनको उपरोक्त सभी बातें बताया था।

23– बचाव साक्षी क्रमांक 2 के रूप में इंस्पेक्टर ब्रह्मजीत सिंह परीक्षित हुए हैं। साक्षी द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा दिनांकित 18.02.2026 में यह कथन किया गया है कि मैं सन् 2007 में अम्बरपुर कोतवाली अम्बेदकर नगर में तैनात था। मेरी रवानगी थाना कोतवाली अम्बरपुर से 13.08.2007 से मेला समाप्ति तक या अग्रिम आदेश तक जनपद अयोध्या में थी। सावन झूला मेला में थी। मेरी ड्यूटी गस्त मोबाइल वाली चौधरी चरण घाट से वरादरी घाट तक थी। मेरी टीम में मैं स्वयं, करन व एक हेड कां0 गजराज व कां0 यज्ञ नरायन व कां0 अजय प्रताप थे। मैं उक्त गस्त मोबाइल टीम के इंचार्ज के रूप में तैनात था तथा उपरोक्त तीनों लोग मेरी ही निगरानी में ड्यूटी करते थे। भीड़ व कानून व्यवस्था रखने के लिए कार्यरत थे। मेरी ड्यूटी दिनांक 13.08.2007 से रवानगी से मेला क्षेत्र में प्रातः चार बजे से शाम चार बजे तक रहती थी। उपरोक्त तीनों लोग मेरे साथ मेला क्षेत्र में दिनांक 13.08.2007 से सुबह 4 बजे व शाम चार बजे तक थी। मेरी ड्यूटी दिनांक 26.08.2007 को शाम चार बजे तक थी। जब सिफ्ट में दूसरे लोग ड्यूटी स्थल पर आ गये तब हम उपरोक्त चारों लोग आराम करने के लिए अपने बैरक में जो कि नया घाट में स्थित था। वहाँ पर आ गये थे। जिस बैरक में हम लोग रूकते थे। वह हाल राजा का था, जिसमें हम सभी चारों लोग व ड्यूटी से आये अन्य जिले के लोग भी साथ में रूकते थे। हम लोग सभी चारों लोग साढ़े सात बजे अपनी बैरक से निकलकर घूमने टहलने के लिए निकले थे। हम सभी चारों लोग लगभग साढ़े नौ से 10 बजे के बीच में खाना खाये थे। निश्चित समय याद नहीं है। करीब ग्यारह बजे रात में हम सभी लोग चारों लोग बैरिक पर वापस आये थे। इस बैरक में हम सभी चारों लोग का बिस्तर अगल बगल लगा हुआ था, जिसमें हम सभी लोग आकर बैठे थे। हम थोड़ी देर बात करने के उपरान्त लगभग आधे घंटे के बाद सो गया था। मुझे सुबह सवा तीन बजे यज्ञ नरायन तिवारी ने उठाया था। मेरी सुबह चार बजे से ड्यूटी थी। मैं करीब 10–15 मिनट पहले ड्यूटी पर पहुंच गया था। मेरे साथ अजय प्रताप ने अपनी डूयटी के लिए नहा धोकर तैयार होकर ड्यूटी स्थल पर सभी लोग चारों लोग ड्यूटी समय से 15 मिनट पहले पहुंच गये थे। दौरान विवेचना थाना डीह के एस0एच0ओ0/एस0ओ0 जब

कां0 अजय प्रताप सिह को लेने अयोध्या आये तो मुझसे भी पूछताछ किया था एवम् मेरा बयान लिया था।''

24– बचाव साक्षी क्रमांक 3 के रूप में अजय प्रताप सिंह परीक्षित हुए हैं। साक्षी द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा दिनांकित 09.03.2026 में यह कथन किया गया है कि मैं कोतवाली नगर जनपद सुल्तानपुर में सन् 2007 से तैनात हूँ। मैं दिनाँक 13.08.2007 को थाना कोतवाली नगर से पुलिस लाइन सुल्तान पुर वास्ते सावन झूला मेला अयोध्या ड्यूटी के लिए रवाना हुआ था। उसी दिन 14.08.2007 को पुलिस लाइन सुल्तानपुर में आमद कराया व उसी दिन अयोध्या सावन मेला के लिए पुलिस लाइन सुल्तानपुर से रवाना हुआ। मैं उसी दिन अयोध्या मेला कैम्प सावन झूला मेला में पहुंचा। 14.08.2007 को जी0 डी0 कार्यालय में मेरी आमद हुयी। उसमें मेरी ड्यूटी नया घाट वरादरी से चौधरी चरण सिंह घाट तक मेरी ड्यूटी मोबाइल गस्त में थी, जिसमे मेरी टीम में मो0 टीम में मोबाइल टीम के इंचार्ज एस0आइ0 ब्रम्हजीत सिंह, हेड कां0 गजराज सिंह, हेड0कां0 यज्ञनरायन तिवारी थे। साथ में मैं भी था। मेरी ड्यूटी 15.08.2007 से अग्रिम आदेश तक सुबह चार बजे से शाम चार बजे तक नया घाट वरादरी से चौधरी चरण सिंह घाट मोबाईल गस्त पार्टी में थी। दिनांक 26.08.2007 को थी। हम लोग पूर्व की भांति सुबह चार बजे से शाम चार बजे तक ड्यूटी स्थल पर अपनी ड्यूटी किया था। उसके उपरांत हम लोग चाय नाश्ता करने बैरक वापस आ गये थे। उसके बाद मैं अपने सहयोगियों के साथ जो कि मेरी मोबाईल गस्त टीम में थे, उनके साथ लगभग साढ़े 9 बजे खाना खाने के लिए बाहर निकले। हम लोगों ने लगभग 10 बजे खाना खाकर टहलते घूमते हुए लगभग 11 बजे रात में वापस आये। बैरक में आ गये और अपने अगल–बगल लगे बिस्तर में बैठकर बातचीत किया। लगभग सवा 11 बजे तक हम लोग आपस में बातचीत किया। लगभग साढ़े ग्यारह बजे मैं सो गया था। दिनाँक 27.08.2007 को लगभग ढाई तीन बजे मुझे सुबह यज्ञ नरायन तिवारी ने उठाया, क्योंकि ड्यूटी स्थल पर पन्द्रह मिनट पहले हम लोगों को ड्यूटी स्थल पर पहुंचना रहता था, जिसके उपरांत हम लोग लगभग पौने चार बजे ड्यूटी स्थल पर नहा धोकर पहुंच गये। इसके उपरांत समय 4.05 ए0एम0 दिनाँक 27.08.2007 को मुझे मेरे चेकिंग अधिकारी द्वारा चेक भी किया गया था। उसी दिन शाम को एस0ओ0 डीह मेरे कैम्प कार्यालय पर आये और मुझसे बताया कि फिर कहा कि ड्यूटी स्थल पर आये बताया कि आपके गांव में अमित सिंह की हत्या हो गयी है। इस सम्बन्ध में पूछताछ हेतु आपको हमारे साथ चलना है, जिस पर मैं उनके साथ चला गया। मैं कथित घटना के समय कथित घटना स्थल पर नहीं था, बल्कि अपनी ड्यूटी स्थल नया घाट अयोध्या में था। मेरे परिवार द्वारा वादी मुकदमा के ऊपर दो सिविल मुकदमा किये गये थे। दोनों में मेरे परिवार के पक्ष में स्टे आर्डर हुआ था, जिस कारण

वादी मुकदमा का गांव में स्थित पुराना मकान नहीं बन पा रहा था, जिस कारण मुझे व मेरे परिवार वालों को इस मुकदमे में झूठा फंसा दिया गया है। मैंने अपने सफाई साक्ष्य में ड्यूटी से सम्बन्धित मूल दस्तावेज साक्ष्य दाखिल किया था, जो कि क्रमशः कागज संख्या 351ख/2, 351ख/3, 351,ख/4, 351ख/5, 351ख/6, 351ख/7, 351ख/8 दाखिल है, जिस पर क्रमशः प्रदर्श ख–2 ख–3, ख–4, ख–5, ख–6, ख–7 व ख–8 डाला गया। मैंने अपनी सफाई साक्ष्य में वादी मुकदमा के घर का विद्युत कनेक्शन की तिथि आर0टी0आइ0 माध्यम से व विद्युत उपकेन्द्र डीह में दिनाँक 26.08.2007 व 27.08.2007 को रोस्टर की प्रतियां दाखिल की हैं, जो कि संलग्न पत्रावली क्रमशः कागज संख्या 351ख/9, 351ख/10, 351ख/11 है, जिस पर क्रमशः प्रदर्श ख–9, प्रदर्श ख–10 व प्रदर्श ख–11 डाला गया। मैं आज अपने सफाई साक्ष्य दिनांक 09.03.2026 को कागज संख्या 353ख फेहरिस्त मय कागजात दाखिल कर रहा हूँ, जो कि वादी मुकदमा व मेरे परिवार वालों के बीच सिविल मुकदमे की सत्य प्रतिलिपि है एवं आज दिनांक 09.03.2026 को मैं वादी मुकदमा व भाई के हैं, लालता सिंह आदि के बीच चल रहे फौजदारी मुकदमे की सत्य प्रतिलिपि दाखिल की है। एवम् वादी मुकदमा व जसवंत सिंह के बीच फौजदारी मुकदमे की सत्य प्रतिलिपि है। मुझको मात्र रंजिशन झूठा फंसाया गया है। ''

25– मैंने अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्कों को सुना एवं पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया।

26– विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियोजन पक्ष द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखीय व मौखिक साक्ष्य के आधार पर अभियोजन पक्ष, दिनाँक 26/27.08.2007 की रात को अभियुक्तगण संजय प्रताप सिंह उर्फ पिन्टू व अजय प्रताप सिंह द्वारा सामान्य आशय के अग्रसरण में वादी के 15 वर्षीय भतीजे अमित को तमन्चे से गोली मारकर हत्या कारित किया जाना, साबित करने में पूर्णतः सफल रहा है। अतः अभियुक्त संजय प्रताप सिंह उर्फ पिन्टू व अजय प्रताप सिंह लगाये धारा 302/34 भारतीय दण्ड संहिता के आरोपित अपराध हेतु सिद्धदोष घोषित कर तदानुसार दण्डित किये जाने योग्य हैं।

27– दूसरी ओर अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी/अभियुक्तगण को जमीन के पुराने विवाद व रंजिश के कारण प्रस्तुत प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित कराये गये साक्षीगण पी0डब्लू0 1, पी0डब्लू0 7 व पी0डब्लू0 8 द्वारा की गयी स्वीकारोक्तियों से उक्त रंजिश व विवाद का कारण भी स्पष्ट हो जाता है। अभियोजन साक्षीगण द्वारा की गयी स्वीकारोक्तियों से यह भी पूर्णतया स्पष्ट है कि अभियुक्तगण के पक्ष द्वारा विवादित भूमि के सम्बन्ध में दीवानी वाद

योजित किया गया था, जिसमें अंतरिम निषेधाज्ञा का आदेश वादी पक्ष के विरूद्ध तथा अभियुक्तगण के पक्ष में था और इसी कारण वादी पक्ष अपने मकान का निर्माण कार्य पूरा नहीं करा पा रहा था। अतः जैसा कि विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि रंजिश किसी घटना का कारण या किसी घटना में झूठा फंसाये जाने, दोनों का कारण हो सकता है, परन्तु प्रस्तुत प्रकरण में, क्योंकि दीवानी वाद में अंतरिम निषेधाज्ञा का आदेश अभियुक्तगण के पक्ष में तथा वादी पक्ष के विरूद्ध था। अतः उक्त विवाद व रंजिश के कारण अभियुक्तगण को घटना कारित किये जाने का कोई उद्देश्य व कारण नहीं माना जा सकता है और चूंकि वादी पक्ष न्यायालय के अंतरिम निषेधाज्ञा आदेश के कारण अपने मकान का निर्माण कार्य पूरा नहीं कर पा रहा था, इसलिए वादी पक्ष के लिए अभियुक्तगण को झूठा फंसाये जाने का उद्देश्य व कारण होना ज्यादा सम्भाव्य है। इसके अतिरिक्त इस संदर्भ में अन्य महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि स्वीकृत रूप से कथित विवाद व रंजिश वादी के पिता व मृतक के दादा से ही होना माना जा सकता है, परन्तु प्रश्नगत घटना में वादी के पिता व मृतक के दादा का भी मृतक के बराबर में ही चारपाइ पर सो रहे होना बताया गया है, ऐसे में कथित विवाद व रंजिश को मुख्य विरोधी पक्षकार की उपस्थित में उसके 15 वर्षीय पौत्र की हत्या किये जाने का भी कोई आधार या कारण होना नहीं माना जा सकता है।

28– इसी क्रम में अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क भी प्रस्तुत किया है कि अभियोजन कथानक व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से प्रथम सूचना रिपोर्ट का दर्शाये गये समय पर, दर्शाये गये समय के बाद दर्ज किया जाना भी प्रमाणित होता है, क्योंकि प्रथम सूचना रिपोर्ट व अभियोजन कथानक के अनुसार प्रश्नगत घटना का समय, दिनांक 26/27.08.2007 की रात्रि 12.30 बजे होना बताया गया है और चिक एफ0आइ0आर0 प्रदर्श क–6 व कायमी जी0 डी0 प्रदर्श क–5 के अनुसार तहरीर प्रदर्श क–1 को वादी द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर साक्षी पी0 डब्लू0 5 के द्वारा दिनांक 27.08.2007 को 2.45 ए0एम0 पर दर्ज किया जाना दिखाया गया है, परन्तु अभियोजन साक्षीगण द्वारा परीक्षित कराये गये साक्षीगण व पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखीय साक्ष्य से यह पूर्णतः स्पष्ट हो जाता है कि वादी द्वारा तहरीर प्रदर्श क–1 प्रस्तुत कर चिक एफ0आइ0आर0 प्रदर्श क–6 को दर्शाये गये समय पर पंजीकृत नहीं कराया जा सकता, क्योंकि साक्षीगण द्वारा की गयी स्वीकारोक्तियों के अनुसार प्रश्नगत घटना की रात वादी अपने घर पर मौजूद नहीं था और कानपुर में था, जिसे घटना की सूचना फोन द्वारा साक्षी पी0 डब्लू0 2 व पी0 डब्लू0 3 द्वारा दी गयी, जिस पर पंचायतनामे की कार्यवाही अस्पताल में पूरी हो जाने के बाद वादी का कानपुर से अस्पताल पहुंचना स्वीकार किया गया है और यह तथ्य पंचायतनामा प्रदर्श क–3 से भी स्पष्ट हो जाता है, क्योंकि

पंचायतनामे पर मुकदमा अपराध संख्या व मुकदमा अपराध संख्या से सम्बन्धित अन्य विवरण अंकित ही नहीं किये गये हैं।

29– इसी क्रम में अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क भी प्रस्तुत किया है कि तहरीर प्रदर्श क–1 में भी वादी द्वारा इस तथ्य को स्वीकार किया है कि परशदेपुर चौकी का सिपाही राम बहादुर ओझा भी साथ हो लिया था और अभियोजन साक्षी पी0 डब्लू0 1 द्वारा उक्त सिपाही को गोली मारने वालों का नाम नहीं बताना प्रतिपरीक्षा में स्वीकार किया है, जिसकी पुष्टि परशदेपुर की पुलिस चौकी की जी0 डी0 से भी होती है, जो पत्रावली पर प्रदर्श ख–1 के रूप में उपलब्ध है और कां0 राम बहादुर ओझा द्वारा चौकी पर वापसी दिनाँक 27.08.2007 को 5.00 बजे की गयी है, जिसमें यह अंकित किया गया है कि ग्राम अटावा में अमित सिंह को किसी ने गोली मार दिया, जिनको घायल अवस्था में गांव वालों व उसके घर वालों के साथ जिला अस्पताल ले गये, जहाँ उसकी मृत्यु हो गयी, से भी वादी की प्रश्नगत घटना के समय घटना स्थल पर उपस्थिति संदेहास्पद हो जाती है।

30– इसी क्रम में अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियोजन पक्ष द्वारा तथ्य के साक्षीगण के रूप में वादी चन्द्रकेश सिंह को पी0 डब्लू0 1 व वादी की पत्नी निशा सिंह को पी0 डब्लू0 7 व वादी की भतीजी आरती उर्फ संध्या सिंह को पी0 डब्लू0 8 के रूप में परीक्षित कराया गया है और स्वतंत्र साक्षीगण ग्राम प्रधान दिलीप सिंह को पी0 डब्लू0 2 व जयकेश सिंह को पी0 डब्लू0 3 के रूप में परीक्षित कराया गया है। इसके अतिरिक्त अभियोजन पक्ष द्वारा तथ्य का और कोई स्वतंत्र साक्षी परीक्षित नहीं कराया गया है। इस प्रकार अन्य परीक्षित कराये गये साक्षीगण पी0 डब्लू0 4 डा0 एम0 के0 गुप्ता, पी0 डब्लू0 5 उप निरीक्षक विनोद कुमार, पी0 डब्लू0 6 उप निरीक्षक बलराम मिश्रा व पंचायतनामा कर्ता उप निरीक्षक श्याम करन सिंह, सभी औपचारिक साक्षीगण हैं। अभियोजन कथानक व साक्षीगण द्वारा अभिकथित तथ्यों से यह पूर्णतः साबित है कि प्रश्नगत घटना के समय वादी के पिता व मृतक के दादा सत्य नरायन सिंह कथित घटना स्थल पर ही मृतक अमित सिंह की चारपाइ के बराबर में ही सो रहे थे, जो प्रश्नगत घटना के सबसे महत्वपूर्ण व एकमात्र चक्षुदर्शी साक्षी होते हैं, परन्तु अभियोजन पक्ष द्वारा उक्त सत्य नारायण सिंह को परीक्षित ही नहीं कराया गया है।

31– इसी क्रम में अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क प्रस्तुत किया है कि अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित कराये गये स्वतंत्र साक्षीगण पी0 डब्लू0 2 व पी0 डब्लू0 3 द्वारा प्रतिपरीक्षा में अभियोजन कथानक से भिन्न कथन किये हैं, परन्तु अभियोजन पक्ष द्वारा अभियोजन साक्षीगण पी0 डब्लू0 2 व पी0 डब्लू0 3 को पक्षद्रोही घोषित नहीं कराया गया है, अतः अभियोजन साक्षीगण पी0 डब्लू0 2 व पी0 डब्लू0 3 द्वारा

प्रतिपरीक्षा में की गयी स्वीकारोक्तियां अभियोजन पक्ष के लिए बाध्यकारी हैं।

32– इसी क्रम में अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क प्रस्तुत किया है कि अभियोजन की ओर से तथ्य के साक्षीगण के रूप में परीक्षित कराये गये वादी साक्षी पी0 डब्लू0 1, उसकी पत्नी पी0 डब्लू0 7 व उसकी भतीजी पी0 डब्लू0 8 द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रथम सूचना रिपोर्ट व धारा 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता के बयानों से भिन्न व बढ़ोत्तरी कर बयान देने का प्रयास किया है, जिसके फलस्वरूप उक्त साक्षीगण का साक्ष्य व उक्त साक्षीगण का चक्षुदर्शी साक्षी होना संदेहास्पद हो जाता है।

33– इसी क्रम में अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क प्रस्तुत किया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट तहरीर प्रदर्श क–1 में सिर्फ अभियुक्तगण संजय प्रताप सिंह व अजय प्रताप सिंह को ही नामित किया गया है, जबकि विवेचना प्रारम्भ होने पर वादी के पिता व मृतक के दादा सत्य नारायण सिंह के कथनानुसार एक अन्य अभियुक्त लालता प्रसाद का भी नाम प्रकाश में आना पाया गया है और उक्त लालता प्रसाद को गिरफ्तार भी किया गया, परन्तु बाद में उनका नाम प्रस्तुत प्रकरण से निकाल दिया गया। इसी प्रकार दौरान विवेचना गवाहान द्वारा धारा 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता के बयानों में 4 अभियुक्तगण द्वारा प्रश्नगत घटना कारित किया जाना भी बताया गया है और अभियोजन साक्षीगण द्वारा दो व्यक्तियों का पूरब ओर व दो व्यक्तियों का उत्तर गांव की ओर भागते देखा जाना भी बताया गया है, परन्तु अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित कराये गये साक्षीगण पी0 डब्लू01, पी0 डब्लू0 7 व पी0 डब्लू0 8 द्वारा न्यायालय के समक्ष उक्त से भिन्न मात्र दो नामित अभियुक्तगण द्वारा ही प्रश्नगत घटना को अंजाम दिया जाना बताया गया है। इसी प्रकार वादी के पिता व मृतक के दादा सत्य नारायण सिंह द्वारा विवेचक को लालता द्वारा प्रश्नगत घटना को कारित किया जाना भी बताया गया और उक्त लालता से प्रश्नगत घटना से 2–3 महीने पहले मारपीट होना व उक्त की बाबत लालता सिंह के विरूद्ध मुकदमा भी चल रहा होना व संजय प्रताप सिंह उर्फ पिन्टू व लालता सिंह का उत्तर गेट की ओर भागते देखा जाना भी अभियोजन साक्षीगण द्वारा बताया गया है और उसकी पुष्टि नक्शा नजरी घटना स्थल प्रदर्श क–7 से भी होती है, जिसमें X से चिन्हित किया गया है और इस स्थान से उत्तर की ओर दो व्यक्तियों का व पूरब की ओर दो व्यक्तियों का भागते देखा जाना चिन्हित किया गया है, परन्तु विवेचक द्वारा सिर्फ नामित अभियुक्तगण संजय प्रताप सिंह उर्फ पिन्टू व अजय प्रताप सिंह के विरूद्ध ही धारा 302 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध के विचारण हेतु आरोप पत्र प्रेषित किया गया है, जिसके फलस्वरूप इन समस्त तथ्यों व परिस्थितियों के फलस्वरूप समस्त अभियोजन कथानक ही संदेहास्पद हो जाता है और अभियोजन साक्षीगण पी0 डब्लू0 1, पी0 डब्लू0 7 व पी0 डब्लू0 8 का साक्ष्य विश्वसनीय नहीं रह जाता है।

34– इसी क्रम में अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क भी प्रस्तुत किया है कि साक्षीगण पी0 डब्लू0 1 पी0 डब्लू0 7 व पी0 डब्लू0 8 के साक्ष्य व इन साक्षीगण द्वारा प्रतिपरीक्षा में की गयी स्वीकारोक्तियों से यह भी पूर्णतः स्पष्ट है कि इन तीनों साक्षीगण में से कोई भी साक्षी प्रश्नगत घटना का चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है, क्योंकि इनके कथनानुसार इन सभी साक्षीगण द्वारा कथित रूप से मात्र अभियुक्तगण को घटना स्थल से भागते हुए देखा जाना ही बताया गया है और चक्षुदर्शी साक्षी सत्य नारायण सिंह को अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षित ही नहीं कराया गया है और न ही आसपास के घर वालों, जैसे रामगोपाल सिंह को भी परीक्षित नहीं कराया गया है।।

35– इसी क्रम में अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क प्रस्तुत किया है कि अभियोजन कथानक के अनुसार वादी पी0 डब्लू0 1 द्वारा घटना स्थल से अपने भतीजे अमित सिंह को घायल अवस्था में अस्पताल ले जाना बताया गया है। इसी प्रकार पी0 डब्लू0 2 व पी0 डब्लू0 3 द्वारा भी वादी के घायल भतीजे अमित सिंह को अस्पताल ले जाना व साथ जाना बताया गया है, परन्तु वादी या किसी अन्य साक्षी के खून लगे कपड़ों को न तो विवेचक को दिये गये हैं, और न ही उक्त के सम्बन्ध में कोई साक्षी प्रस्तुत किया गया है।

36– इसी क्रम में अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क प्रस्तुत किया है कि स्वीकृत रूप से अभियोजन कथानक के अनुसार प्रश्नगत घटना को कथित रूप से रात्रि के 12.30 बजे घटित होना बताया गया है, ऐसे में चक्षुदर्शी साक्षीगण के लिए प्रकाश का स्रोत होना भी महत्वपूर्ण हो जाता है। इस सम्बन्ध में अभियोजन पक्ष द्वारा यह बचाव लिया गया है कि घटना वाली रात चाँदनी रात थी, इसलिए अभियुक्तगण को पहचान लिया जाना सम्भव था और अभियोजन पक्ष द्वारा यह भी दर्शाने का प्रयास किया है कि बिजली का प्रकाश भी था और वादी के घर पर बिजली न होने पर इनवर्टर की भी व्यवस्था थी। अतः प्रकाश का पर्याप्त स्रोत उपलब्ध था, परन्तु अभियोजन साक्षीगण द्वारा की गयी स्वीकारोक्तियों से यह पूर्णतः साबित है कि प्रश्नगत घटना के समय वादी के निर्माणाधीन मकान में बिजली का कनेक्शन ही नहीं था और घटना स्थल का निरीक्षण किये जाते समय विवेचक पी0 डब्लू0 7 को मौके पर वादी के घर इनवर्टर भी नहीं मिला, जिसके फलस्वरूप अभियोजन साक्षीगण विशेषतः पी0 डब्लू0 1, पी0 डब्लू0 7 व पी0 डब्लू0 8 द्वारा अभियुक्तगण को भागते देखे जाने पर पहचान लिये जाने के लिए प्रकाश का भी पर्याप्त स्रोत न होने के फलस्वरूप अभियोजन साक्षीगण द्वारा कथित रूप से मौके से भागते हुए नामित अभियुक्तगण को पहचान लिया जाना भी संदेहास्पद हो जाता है।

37– अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क भी प्रस्तुत किया है कि अभियोजन साक्षीगण पी0 डब्लू0 1, पी0 डब्लू0 7 व पी0 डब्लू0 8 द्वारा किये गये कथनों से यह पूर्णतः स्पष्ट है कि प्रश्नगत घटना के समय उक्त तीनों साक्षीगण घर की छत पर सो रहे थे और मृतक अपने दादा के साथ बाहर स्थित बरामदे में सो रहा था, ऐसे में एक ओर प्रारम्भ में अभियोजन साक्षीगण द्वारा छत से अभियुक्तगण को भागते हुए पहचान लिया जाना बताया गया, वहीं बाद में गोली की आवाज सुनकर छत से जीने के द्वारा नीचे आकर बरामदे में पहुंचने पर अभियुक्तगण को मौके से भागते हुए देखा जाना बताया गया है, जिसके फलस्वरूप यह तथ्य भिन्न व विरोधाभाषी कथनों के कारण संदेहास्पद हो जाता है। इसके अतिरिक्त उक्त साक्षीगण में से जहाँ वादी का प्रश्नगत घटना की रात्रि कानपुर में होना अभियोजन साक्षीगण द्वारा स्वीकार किया है, वहीं सभी साक्षीगण द्वारा यह भी स्वीकार किया है कि वादी पक्ष का मुख्य पुराना घर गाँव के अन्दर स्थित है और उसी में वादीगण का परिवार निवास कर रहा था और उनके द्वारा प्रश्नगत नये मकान का निर्माण कराया जा रहा था, जो अभियुक्त पक्ष के द्वारा अंतरिम निषेधाज्ञा का आदेश ले लिये जाने के कारण निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पा रहा था। इसके फलस्वरूप भी इन तीनों साक्षीगण की उपस्थिति घटना वाली रात को छत पर होना संदेहास्पद हो जाता है। इसके अतिरिक्त अभियोजन पक्ष की ओर से घटना स्थल से खून आलूदा व सादा मिट्टी एकत्र पर उसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर साबित नहीं कराया है, जिसके फलस्वरूप घटना स्थल भी संदेहास्पद हो जाता है।

38– इसी क्रम में अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क प्रस्तुत किया है कि अभियोजन साक्षीगण पी0 डब्लू0 7 व पी0 डब्लू0 8 द्वारा मात्र दो फायर की आवाज सुनायी देना बताया है, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मृतक के शरीर पर तीन आग्नेशस्त्र की चोटें पाये जाने की पुष्टि होती है। अतः यह तथ्य भी साक्षीगण पी0 डब्लू0 7 पी0 डब्लू0 8 की घटना स्थल वाले मकान में छत पर उपस्थित होने को संदेहास्पद बना देता है।

39– इसी क्रम में अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क प्रस्तुत किया है कि अभियोजन कथानक व साक्ष्य के अनुसार प्रश्नगत घटना को रात्रि 12.30 बजे घटित होना बताया गया है और अभियोजन साक्षीगण पी0 डब्लू0 1, पी0 डब्लू0 7 व पी0 डब्लू0 8 द्वारा भी की गयी स्वीकारोक्तियों के अनुसार उक्त तीनों साक्षीगण भी 9.00–9.30 बजे खाना खाकर सो गये थे और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मृतक द्वारा भी मृत्यु के एक 1–1.30 घण्टे पहले खाना खाया होगा, जिसके फलस्वरूप अभियोजन कथानक में दर्शाया

गया घटना का समय भी संदेहास्पद हो जाता है और इससे यह परिलक्षित होता है कि अभियोजन पक्ष को प्रश्नगत घटना की बाबत 12.30 बजे जानकारी हुयी, जिसके फलस्वरूप प्रश्नगत घटना का कोई भी स्वतंत्र साक्षी नहीं है।

40– इसी क्रम में अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क भी प्रस्तुत किया है कि अभियोजन साक्षीगण द्वारा की गयी स्वीकारोक्तियों से व बचाव में अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य से यह पूर्णतः साबित है कि प्रश्नगत घटना के समय अभियुक्त अजय प्रताप सिंह उत्तर प्रदेश पुलिस में कोतवाली नगर, जनपद सुल्तानपुर में सेवारात था और दिनाँक 13.08.2007 से उसकी ड्यूटी सावन झूला मूला में अयोध्या में लगी थी, जहाँ से वह दिनाँक 14.08.2007 को पुलिस लाइन सुल्तानपुर से अयोध्या सावन मेला के लिए रवाना हुआ और प्रश्नगत घटना के दिन व समय वह अयोध्या में ही सावन मेला में अपनी ड्यूटी पर तैनात था, जिससे सम्बन्धित अभिलेखों को अभियुक्त अजय प्रताप सिंह द्वारा बतौर डी0 डब्लू0 3 साबित किया गया है और बचाव में परीक्षित साक्षीगण डी0 डब्लू0 1 कां0 यज्ञ नारायण तिवारी व डी0 डब्लू0 2 इन्सपेक्टर ब्रह्मजीत तिवारी के साक्ष्य से प्रश्नगत घटना के दिन व समय अभियुक्त अजय प्रताप सिंह की उपस्थित सावन मेला अयोध्या में अपनी ड्यूटी पर होने की पुष्टि होती है।

41– अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता ने अपने तर्कों के समर्थन में निम्नलिखित नजीरें प्रस्तुत की हैं।

1. GAYADIN Versus STATE OF M.P. (2006) 1 Suprime Court Cases (Cri) 549

2– RAJA RAM Versus STATE OF RAJASTHAN 2005 Supreme Court Cases (Cri) 1050

3– RAM LAKHAN Versus STATE [2018 (102) ACC 438] (ALLAHABAD HIGH COURT)

4– Badam singh Versus State of Madhya Pradesh [2004 (1) JIC 755 (SC)]

5– STATE OF PUNJAB Versus HARBANS SINGH AND ANOTHER 2004 Supreme Court Cases (Cri) 75

6– ALIL MOLLAH AND ANOTHER Versus STATE OF W.B. 1996 Supreme Court Cases (Cri) 1028

7– Arjun Marik vs Stater of Bihar] Equivalent citations 1994 SCC Supl. (2) 372 JT 1994 (2) 627

8– YUDHISHTIR V. STATE OF MADHYA PRADESH Supreme Court of India Feb 19, 1971

9– Hakim Versus State of U.P. [2005 (1)JIC 176 (All)]

10– PARVAT SINGH and others Versus STATE OF M.P. [2020 (111) ACC 904] (SUPREME COURT)

11– MAZEED and others Versus STATE OF U.P. [2024 (128) ACC 217] (ALLAHABAD HIGH COURT)

42– इसी क्रम में अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क प्रस्तुत किया है कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित साक्षीगण व मौके पर मृतक के पास ही बराबर चारपायी पर सो रहे उसके दादा व आसपास के किसी अन्य चक्षुदर्शी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है और परीक्षित कराये गये साक्षीगण पी0 डब्लू0 2 व पी0 डब्लू0 3 द्वारा प्रतिपरीक्षा में अभियोजन कथानक के विपरीत कथन किये हैं, जो अभियोजन पक्ष पर बाध्यकारी हैं। इसके अतिरिक्त अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षित कराये गये साक्षीगण पी0 डब्लू0 1 व पी0 डब्लू07 व पी0 डब्लू0 8 का जहाँ घटना स्थल पर उपस्थित होना ही संदेहास्पद है, वहीं इन साक्षीगण द्वारा बढ़ोत्तरी कर एवं प्रतिपरीक्षा में भिन्न–भिन्न व विरोधाभाषी कथन किये हैं, जिसके फलस्वरूप भी अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित कराये गये साक्षीगण वादी पी0 डब्लू0 1, पी0 डब्लू0 7 व पी0 डब्लू0 8 का साक्ष्य विश्वसनीय नहीं रह जाता है।

43– उपरोक्त के आधार पर अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क प्रस्तुत किया है कि इस प्रकार अभियोजन पक्ष पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण संजय प्रताप सिंह उर्फ पिन्टू व अजय प्रताप सिंह के द्वारा सामान्य आशय की पूर्ति में दिनाँक 26/27.08.2007 की रात को 12.30 बजे वादी के भतीजे अमित सिंह की बरामदे में सोते हुए गोलियाँ मारकर हत्या कारित कर दिया जाना संदेह से परे साबित करने में पूर्णतः असफल रहा है, जिसके फलस्वरूप अभियुक्तगण संजय प्रताप सिंह उर्फ पिन्टू व अजय प्रताप सिंह लगाये गये धारा 302 सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता के अपराधों के आरोपों हेतु दोषमुक्त किये जाने योग्य हैं।

निष्कर्ष

44– अभियोजन कथानक के अनुसार वादी चन्द्रकेश द्वारा थाना डीह जिला रायबरेली में प्रस्तुत तहरीर प्रदर्श क–1 के आधार पर दिनाँक 26/27.08.2007 को अभियुक्तगण संजय प्रताप सिंह उर्फ पिन्टू व अजय प्रताप सिंह द्वारा रात के लगभग 12.30 बजे वादी के घर के बरामदे में, वादी के पिता के साथ सो रहे भतीजे अमित को तमन्चे से गोली मारकर मार दिया जाना और अस्पताल पहुंचते–पहुंचते वादी के भतीजे की मृत्यु हो जाने के सम्बन्ध में मुकदमा अपराध संख्या 412/2007 अंतर्गत धारा 302 भारतीय दण्ड संहिता

अभियुक्तगण अजय सिंह व संजय सिंह उर्फ पिन्टू के विरूद्ध चिक एफ0आइ0आर0 प्रदर्श क–6 व कायमी जी0डी0 प्रदर्श क–5 के अनुरूप मुकदमा अपराध संख्या 412/2007 अंतर्गत धारा 302 भारतीय दण्ड संहिता दिनाँक 27.08.2007 समय 2.45 ए0एम0 पर अभियुक्तगण अजय सिंह व संजय सिंह उर्फ पिन्टू के विरूद्ध दर्ज किया गया।

45– विवेचना अधिकारी द्वारा लाश सुपुर्दगीनामा प्रदर्श क–2, पंचायतनामा प्रदर्श क–3, पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श क–4, नकल रपट प्रदर्श क–5, प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क–6, नक्शा नजरी प्रदर्श क–7, फर्द खूनालूदा व सादी मिट्टी प्रदर्श क–8, गिरफ्तारी प्रपत्र प्रदर्श क–9, जी0डी0 प्रदर्श ख–10, फोटो नाश प्रदर्श क–11, चालान नाश प्रदर्श क–12, चिट्टी सी0एम0ओ0 प्रदर्श क–13, चिट्टी आइ0आइ0 प्रदर्श क–14 के आधार पर अभियुक्त संजय प्रताप सिंह उर्फ पिन्टू सिंह के विरूद्ध आरोप पत्र प्रदर्श क–15, व अभियुक्त अजय प्रताप सिंह के विरूद्ध आरोप पत्र प्रदर्श क–16 प्रस्तुत किया गया।

46– तदोपरान्त आरोपित अपराधों के सत्र परीक्षणीय होने के फलस्वरूप प्रकरण को सत्र सुपुर्द किया गया, जो सत्र वाद संख्या 39/2008 अभियुक्त संजय प्रताप सिंह उर्फ पिन्टू सिंह, व सत्र वाद संख्या 227/2008 अभियुक्त अजय प्रताप सिंह के विरूद्ध पंजीकृत किया गया।

47– पत्रावली सत्र सुपुर्द होने के उपरांत अभियुक्तगण संजय प्रताप सिंह उर्फ पिन्टू सिंह व अजय प्रताप सिंह के विरूद्ध धारा 302/34 भारतीय दण्ड संहिता के अपराधों के आरोप विरचित किये गये और अभियुक्तगण द्वारा आरोपों से इन्कार कर दिये जाने पर, विचारण प्रारम्भ किया गया।

48– सत्र वाद संख्या 39/2008 राज्य प्रति संजय प्रताप सिंह उर्फ पिन्टू सिंह व सत्र वाद संख्या 277/2008 को एक ही अपराध संख्या से सम्बन्धित होने के आधार पर आदेश दिनांकित 03.09.2008 से एकजाई हुए तथा सत्र वाद संख्या 39/2008 राज्य प्रति संजय प्रताप सिंह उर्फ पिन्टू की पत्रावली को अग्रेतर पत्रावली निश्चित किया गया।

49– अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध पी0डब्लू0 1 वादी मुकदमा चन्द्रकेश सिंह, पी0डब्लू0 2 स्वतंत्र साक्षी दिलीप सिंह, पी0डब्लू0 3 स्वतंत्र साक्षी जयकेश, पी0डब्लू0 4 पोस्टमार्टमकर्ता डा0 एम0के0 गुप्ता, पी0डब्लू0 5 चिक व जी0डी0 लेखक उप निरीक्षक विनोद कुमार, पी0डब्लू0 6 प्रथम विवेचक निरीक्षक बलराम मिश्र, पी0डब्लू0 7 चक्षुदर्शी साक्षी श्रीमती निशा सिंह, पी0डब्लू0 8 चक्षुदर्शी साक्षी आरती उर्फ संध्या सिंह व पी0डब्लू0 9 पंचायतनामाकर्ता श्याम करन सिंह को परीक्षित कराया गया।

50– तदोपरान्त अभियुक्तगण के बयान अंतर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता लेखबद्ध किये गये, जिसमें अभियुक्तगण द्वारा रंजिशन, प्रस्तुत प्रकरण में झूंठा फंसाया जाना व

विचार–विमर्श के उपरान्त गांव की पार्टीबन्दी के चलते एन0टी0 टाइम मुकदमा दर्ज कराया जाना और विवेचक द्वारा खानापूर्ति के उद्देश्य से अभियोजन से प्रभावित होकर अभियुक्तगण, जो निर्दोष हैं, के विरूद्ध गलत एवं झूठे आरोप पत्र प्रेषित किये गये हैं।

51- प्रस्तुत प्रकरण में रंजिश का प्रश्न महत्वपूर्ण इस आधार पर हो जाता है, क्योंकि जहाँ अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्तगण पर रंजिश के कारण ही प्रश्नगत घटना कारित किया जाना आरोपित किया गया है, वहीं अभियुक्तगण की ओर से एक मुख्य बचाव यह भी लेने का प्रयास किया गया है कि प्रश्नगत रंजिश के कारण अभियुक्तगण को प्रस्तुत प्रकरण में बिना किसी आधार व कारण के वादी पक्ष द्वारा नामित किया गया है। जहाँ तक रंजिश का प्रश्न है, यह ही है कि वादी द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क-1 में रंजिश की बाबत कोई तथ्य अभिकथित नहीं किया गया है, परन्तु इस संदर्भ में अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित कराये गये साक्षीगण द्वारा स्वीकारोक्ति की गयी है और इस बाबत वादी पी0 डब्लू0 1 ने प्रतिपरीक्षा में कथन किया है किः- **इस घटना के 10 साल पहले से मुल्जिमानों व उनके पिता से दीवानी का मुकदमा चल रहा है। दीवानी का मुकमा मुल्जिमान के पिताजी ने दायर किया था। यह सहन का मुकदमा था। इस मुकदमे में सिविल जज के न्यायालय से मुल्जिमानों के पिता को स्टे आर्डर मिला था। इस घटना के 2–3 महीना पहले मुल्जिमानों ने मेरा घर बनाने से रोकने का मुकदमा न्यायालय में किया था। आज भी मुकदमा चल रहा है। मैं अपना घर नहीं बना पाया हूँ। मुल्जिमान और मैं एक ही परिवार का हूँ।**

52– इसी प्रकार रंजिश के सम्बन्ध में अभियोजन साक्षी पी0 डब्लू0 2 ने भी प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि– **मुकदमा वादी एवं व मुल्जिमान के पिता व मुल्जिमानों से मकान के सहन को लेकर इस घटना के पूर्व से मुकदमा चल रहा था।**

53– रंजिश के सम्बन्ध में पी0 डब्लू0 7 श्रीमती निशा सिंह द्वारा भी प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि **घटना के पहले से मुल्जिमान से और मेरे पति चन्द्रकेश सिंह से दीवानी का मुकदमा रायबरेली कचेहरी में चलता था। मुल्जिमान अदालत से स्टे लिये थे और मेरे घर की छत नहीं पड़ पा रही थी तथा घर नहीं बन पा रहा था। दीवानी मुकदमे के चलने के पहले से मुल्जिमान के यहाँ से खाना–पीना और आना–जाना नहीं चल रहा था। रंजिश चल रही थी।**

54– इस प्रकार अभियोजन साक्षीगण द्वारा की गयी उपरोक्त स्वीकारोक्तियों से यह तथ्य पूर्णतया साबित है कि वादी पक्ष व अभियुक्त पक्ष के मध्य जहाँ वादी पक्ष द्वारा अपने नये मकान का निर्माण कराया जा रहा था, उसकी भूमि/सहन को लेकर विवाद था, जिसमें अभियुक्त पक्ष द्वारा दीवानी का मुकदमा योजित किया गया था और उक्त में स्टे का आदेश अभियुक्तगण के पक्ष में था और इसी कारण वादी पक्ष के मकान का निर्माण कार्य रूका हुआ

था और उनकी छत नहीं पड़ पा रही थी। रंजिश के सम्बन्ध में विधि का सुस्थापित सिद्धान्त यह है कि रंजिश एक दोधारी तलवार है, जो जहाँ किसी घटना का उद्देश्य या कारण हो सकती है, वहीं किसी को झूठा फंसाये जाने का भी आधार व कारण हो सकती है और इस सम्बन्ध में अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत नजीर, 2024(128) ACC Page 217 Mazid & Ors. vs. State of U.P., में भी माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि- **It is well settled principles of law that enmity is double edged sword which can cut both ways i.e. it can be a ground for committing offences and also for false implication.,** माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा रंजिश के संदर्भ में अब यह देखा जाना है कि क्या अभियोजन पक्ष पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर रंजिश के कारण ही अभियुक्तगण द्वारा प्रश्नगत घटना को अंजाम दिया जाना साबित करने में सफल रहा है, अथवा अभियुक्तगण उपरोक्त सुस्थापित सिद्धान्त का लाभ पाने के अधिकारी हैं।

55- अभियुक्तगण की ओर से एक अन्य मुख्य बचाव यह लेने का प्रयास किया गया है कि प्रस्तुत प्रकरण की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्शाये गये समय के बाद, दर्शाये गये समय पर दर्ज किया जाना अभियोजन प्रपत्रों व साक्षीगण द्वारा की गयी स्वीकारोक्तियों से प्रमाणित होता है। इस संदर्भ में अभियुक्तगण द्वारा यह आधार लिया गया है कि पंचायतनामे व पंचायतनामे के साथ पोस्टमार्टम हेतु भेजे गये शव के अन्य किसी भी प्रपत्रों के साथ-साथ पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर मुकदमा अपराध संख्या इत्यादि कोई विवरण उपलब्ध नहीं है, जिससे यह प्रमाणित हो जाता है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्शाये गये समय के बाद, दर्शाये गये समय पर दर्ज की गयी है।

56- उक्त के सम्बन्ध में चिक एफ0आइ0आर0 प्रदर्श क-6 के अनुसार दिनांक 26/27.08.2007 की रात्रि 12.30 बजे की घटना की बाबत मुकदमा अपराध संख्या 412/2007 अंतर्गत धारा 302 बनाम अजय सिंह व संजय सिंह उर्फ पिन्टू की प्रथम सूचना रिपोर्ट 27.08.2007 को प्रातः 2.45 ए0एम0 पर दर्ज की गयी है, जबकि पंचायतनामा प्रदर्श क-3 के अनुसार थाने में रिपोर्ट करने का दिनांक और समय और जाँच आरम्भ किये जाने का समय दिनाँक 27.08.2007 समय 6.00 बजे व 12.10 बजे अंकित किया गया है और पोस्टमार्टम समाप्त किये जाने का समय 27.08.2007 समय 13.15 बजे अंकित किया गया है। पंचायतनामे प्रदर्श क-3, लाश सुपुर्दगीनामा प्रदर्श क-2, पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श क-4, पोस्टमार्टम हेतु प्रेषित पुलिस प्रपत्र फोटो लाश प्रदर्श क-11, आरक्षी विवरण प्रदर्श क-12, अधीक्षक जिला कारागार को प्रेषित पत्र प्रदर्श क-13, प्रतिसार निरीक्षक को प्रेषित पत्र प्रदर्श क-14 किसी पर भी चिक एफ0आइ0आर0 प्रदर्श क-6 के अनुरूप मुकदमा अपराध संख्या

412/2007 अंतर्गत धारा 302 भारतीय दण्ड संहिता बनाम अजय सिंह व संजय सिंह उर्फ पिन्टू का उल्लेख नहीं है। इस संदर्भ में अभियोजन पक्ष द्वारा यह बचाव लेने का अवश्य प्रयास किया गया है कि उक्त त्रुटिवश अंकित नहीं किया जा सका होगा और इसके आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट का दर्शाये गये समय के बाद दर्ज किया जाना नहीं माना जा सकता है।

57- उक्त के सम्बन्ध में अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी बचाव लिया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 27.08.2007 को 2.45 ए0एम0 पर वादी चन्द्रकेश सिंह द्वारा दर्ज कराया जाना प्रदर्श क-5 कायमी जी0डी0 के अनुरूप दर्शाया गया है, परन्तु अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित कराये गये साक्षीगण द्वारा प्रतिपरीक्षा में की गयी स्वीकारोक्तियों से यह तथ्य पूर्णतया साबित हो जाता है कि प्रश्नगत घटना के समय वादी चन्द्रकेश सिंह अपने घर पर मौजूद नहीं था और न ही वह चोटिल भतीजे अमित को घर से अस्पताल लाये जाते समय अन्य लोगों के साथ मौजूद था और वह पंचायतनामे की कार्यवाही के उपरांत ही जिला अस्पताल रायबरेली पहुंचा।

58- इस सम्बन्ध में साक्षी पी0 डब्लू0 1 ने प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि- **मैंने या मेरे यहाँ से अन्य किसी व्यक्ति ने थाने पर या डी0एम0, एस0पी0 को फोन नहीं किया। परिवार के किसी अन्य व्यक्ति ने चौकी पर फोन किया होगा। फोन से सूचना देने के बाद मौके पर पुलिस आयी । जब हम लोग चोटहिल को लेकर जा रहे थे, गांव के बाहर चौकी के दो सिपाही हम लोगों को मिले थे। पुलिस चौकी परसदेपुर रिपोर्टिंग चौकी है। वहाँ रिपोर्ट लिखी जाती है अपने गांव से कैधरा दिलावर पुर डामररोड होकर आये थे। यह दोनों सिपाही हमको देखा वहीं रूकवाया बोले चलो ले चलो। पीछे वह कहाँ गये, मुझे नहीं मालूम। अस्पताल मेरे साथ नहीं आये। मेरे रिपोर्ट में यह सही लिखा था कि ''मैं अपने भतीजे को हास्पिटल उपचार हेतु ले जा रहे थे। साथ में परशदेपुर चौकी का श्रीराम बहादुर ओझा सिपाही भी साथ में हो लिया था। जब परशदेपुर के सिपाही मिले तो उनको मैंने अमित सिंह को गोली मारने वालों का नाम नहीं बताया और न उनसे रिपोर्ट लिखने के लिए कहा।**

59- इसी प्रकार वादी चन्द्रकेश सिंह की उपस्थिति के सम्बन्ध में अभियोजन साक्षी पी0 डब्लू0 2 ने प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि- **जब मैं घना स्थल पर पहुंचा तो घटना स्थल पर जयकेश सिंह व गांव के काफी लोग इकट्ठा थे। चन्द्रकेश सिंह वहाँ पर नहीं थे। मृतक को चोटहिल हालत में मैं जयकेश सिंह व गांव के एक अन्य लोग और थे, मार्शल गाड़ी से जिला अस्पताल रायबरेली लाये थे। गाड़ी का इन्तजाम मैंने किया था। पंचायतनामा हो जाने के बाद लाश सील हो जाने के बाद चन्द्रकेश सिंह जिला अस्पताल पहुंचे थे। चन्द्रकेश पंचायतनामा के गवाह नहीं थे। चन्द्रकेश के दादा के लड़के कानपुर में रहते हैं। उनके नाम**

रामधीन व रामकृष्ण सिंह हैं। मैंने चन्द्रकेश सिह के चचेरे भाई राम गोपाल सिंह कानपुर में रहते हैं। मैंने उन्हें अपने मोबाईल से घटना की सूचना रात में ही घटना के बाद दिया था।

60- इसी प्रकार उक्त के सम्बन्ध में पी0 डब्लू0 3 ने भी प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि **पंचायतनामा होने तक चन्द्रकेश सिंह व मृतक के पिता इन्द्रकेश सिंह अस्पताल नहीं पहुंचे थे। मृतक के घर में कोई पुरूष नहीं था, इसलिए साथ में कोई अस्पताल भी नहीं गया था। मृतक के पिता इन्द्रकेश दिल्ली में थे तथा चाचा चन्द्रकेश कानपुर में अपने चचेरे भाई रामधीन व रामकृष्ण सिंह के पास थे। घटना की सूचना रात में ही प्रधान दिलीप सिंह ने अपने मोबाईल से चन्द्रकेश सिंह को दिया था। चन्द्रकेश सूचना पर जिला अस्पताल रायबरेली , जब मृतक का पंचायतनामा हो चुका था, तब पहुंचे थे।**

61- अभियोजन साक्षी पी0 डब्लू0 7 ने भी अपने पति वादी चन्दकेश सिंह की घटना स्थल पर उपस्थिति के सम्बन्ध में प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि- **मेरे पति घटना के पहले जूता की फैक्ट्री दिल्ली में काम करते थे। मेरे पति के दादा के लड़के रामधीर सिंह व रामकर्ण सिंह घटना के समय कानपुर में रहते थे। मेरे पति कानपुर में थे और रात में आ गये थे। पोस्टमार्टम के समय मेरे पति अस्पताल आ गये थे। मुझे पता नहीं है कि वह रात में ही अस्पताल पहुंच गये थे।**

62- वादी की भतीजी आरती सिंह उर्फ संध्या सिंह पी0 डब्लू0 8 ने भी वादी के सम्बन्ध में प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि- **घटना के समय मेरे पिता दिल्ली में नौकरी करते थे। मेरे चाचा चन्द्रकेश घटना के चार पाँच साल पहले दिल्ली में नौकरी करते थे। दिल्ली में जूता बनाने वाली कम्पनी में काम करते थे।**

63– अभियोजन साक्षी पी0 डब्लू0 9 श्यामकरन सिंह रिटायर्ड सब इन्सपेक्टर ने भी पंचायतनामे पर मुकदमा अपराध संख्या या पंचायतनामे के समय किसी के भी द्वारा अभियुक्तगण का नाम न बताया जाना स्वीकार किया है और यह कथन किया है कि– **पंचायतनामा की कार्यवाही 13 बजकर 15 मिनट पर समाप्त किया था। पंचायतनामा में जो पंचान गवाह थे, उनकी राय मैंने पूछकर लिखा था। किसी पंचान के गवाहों ने राय पंचान में किसी मुल्जिम का नाम घटना में नहीं बताया था। किसी पंचान के गवाहों ने मुझे नहीं बताया था कि थाना डीह में उपरोक्त घटना प्रथम सूचना रिपोर्ट 27.08.2007 के समय 2.45 ए0 एम0 पर पंजीकृत हो चुकी है।**

64- उपरोक्त के सम्बन्ध में अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत नजीरों में प्रथम सूचना रिपोर्ट एंटी टाइम व एंटी डेट दर्ज किये जाने के सम्बन्ध में निम्नलिखित सिद्धान्त प्रतिपादित किये गये हैंः-

1- **2025 (1) JIC Page 176 Allahabad Hakim vs. State of U.P.,** in which Hon'ble Allahabad High Court has held that where FIR was lodged after dead body was picked up from the place of incidence and brought to the Police Station, after noticing injuries during inquest and postmortem and where FIR is anti-timed and absence of reference of FIR in postmortem report and inquest report prepared in Police Station and witness stated that police offered blank papers for signing and he did not call police and it is not certain how police reached at the place of occurrence and scribe of FIR was not produced as a witness and cartridges were not found near dead body and the witnesses made improved statements, in such circumstances, the prosecution has failed to prove the case beyond reasonable doubt. Accordingly, appellant is titled to benefit of doubt.

In this judgment, the Hon'ble Allahabad High Court has also quoted the principles laid down by Hon'ble Apex Court in the case of **Meharaj Singh vs. State of U.P. 1995 (1) JIC Page 757** as follows : **-**

"FIR in a criminal case and particularly in a murder case is a vital and variable peace of evidence for the purpose of appreciating the evidence led at the trial. The object of insisting upon prompt lodging of the FIR is to obtain the earliest information regarding the circumstance in which the crime was committed including the names of the actual culprits and the parts played by them, the weapons, if any, used, as also the names of the eye-witnesses if any. Delay in lodging the FIR often results in embellishments, which is a creature of an after thought. On account of delay, the FIR not only gets bereft of the advantage of the spontaneity, danger also creeps in of the introduction of coloured version or exaggerated story. With a view to determine whether the FIR was lodged at the time, it is alleged to have been recorded the courts generally look for certain external checks."

Similarly, the Hon'ble Allahabad High Court also quoted the principles laid down by Hon'ble Supreme Court in Mohammad Muslim vs. State of Uttar Pradesh 2023(3) JIC Page 668 where Hon'ble Supreme Court has held that *"**In Meharaj Singh vs. State of U.P.,** it has been opined that on account of the infirmities such an ante-timing of the FIR loses its evidentiary value. Thus, this entitles the accused to be given the benefit of doubt."*

Besides the above, the Hon'ble Allahabad High Court has also quoted the observations of Hon'ble Supreme Court in Udhisthir vs. State of M.P.

1971(3) SCC Page 436 as follows-

“The evidence given by Pws 1 and 6 before the Court was substantially in variance with the version given by them in the statements given to the Police at the earliest occasion. Before the Court they have considerably improved their statements. Omissions in the statements to the Police were of a very serious nature making their evidence before the Court false and unacceptable.”

65- प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रस्तुत प्रकरण में एंटीटाइम दर्ज किये जाने के सम्बन्ध में प्रथम सूचना रिपोर्ट धारा 157 दण्ड प्रक्रिया संहिता में निहित प्रावधान भी महत्वपूर्ण हैं और उक्त के अनुसार प्रत्येक थाना प्रभारी का यह दायित्व निर्धारित किया गया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के 24 घण्टे के अन्दर चिक एफ0आइ0आर0 व तहरीर अवलोकनार्थ सम्बन्धित न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिसे उक्त थाने से सम्बन्धित क्षेत्राधिकार है, के समक्ष प्रस्तुत की जानी चाहिए और प्रस्तुत प्रकरण में पत्रावली पर उपलब्ध चिक एफ0आइ0आर0 प्रदर्श क-6, कायमी जी0डी0 प्रदर्श क-5 को तहरीर के साथ सम्बन्धित मजिस्ट्रेट मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष अत्यधिक देरी से दिनाँक 11.09.2007 को चिक प्रदर्श क-6 पर उपलब्ध सी0जे0एम0 के पृष्ठांकन ‘Seen’ के नीचे सूक्ष्म हस्ताक्षर व अंकित तिथि 11.09.2007 से प्रमाणित होता है। इस सम्बन्ध में अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत नजीर में निम्न सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया हैः-

1- **1994 SCC Supl. (2) 372 JT 1994 (2) 627 Arjun Marik vs. State of Bihar** in which the Hon’ble Supreme Court has held that Section 157 of the Code of Criminal Procedure mandates that if, from information received or otherwise, an officer in charge of police station has reason to suspect the commission of an offence which he is empowered under Section 156 to investigate, he shall forthwith send a report of the same to the Magistrate empowered to take cognizance of such offence upon a police report. Section 157 Cr.P.C. thus in other words directs the sending of the report forthwith i.e. without any delay and immediately. Further, Section 159 Cr.P.C. envisages that on receiving such report, the Magistrate may direct an investigation or, if he thinks fit, to proceed at once or depute any other Magistrate subordinate to him to proceed to hold a preliminary inquiry into the case in the manner provided in the Code of Criminal Procedure. The forwarding of the occurrence report is indispensable and absolute and it has to be forwarded with earliest dispatch which intention is implicit with the use of the word “forthwith” occurring in

Section 157, which means promptly and without any undue delay. The purpose and object is so obvious which is spelt out from the combined reading of Sections 157 and 159 Cr.P.C. It has the dual purpose, firstly to avoid the possibility of improvements in the prosecution story and introduction of any distorted version by deliberations and consultation and secondly to enable the Magistrate concerned to have a watch on the progress of the investigation.

66- प्रथम सूचना रिपोर्ट के संदर्भ में अभियोजन साक्षी पी0 डब्लू0 5 एस0 आइ0 विनोद कुमार ने प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि–**प्रदर्श क-6 चिक रिपोर्ट को सीओ0 के माध्यम से न्यायालय को किस दिनांक को भेजा गया, अंकित नहीं है। प्रदर्श क-6 चिक एफ0 आइ0 आर0 में वादी के सूचना देने वाले स्तम्भ में कोई हस्ताक्षर या निशानी अंगूठा नहीं है। घटना के समय थाना डीह की चौकी परशदेपुर थी जो रिपोर्टिंग चौकी थी।**

67- इसी प्रकार उक्त के सम्बन्ध में प्रश्नगत घटना के बाद वादी द्वारा भी या अन्य किसी के द्वारा भी प्रश्नगत घटना को कारित करने वाले व्यक्तियों के नाम का कोई खुलासा किसी भी स्तर पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किये जाने तक परिलक्षित नहीं होता है। वादी के द्वारा प्रस्तुत तहरीर प्रदर्श क-1 व बतौर पी0 डब्लू0 1 की गयी स्वीकारोक्तियों के अनुसार परशदेपुर चौकी, जिसके अंतर्गत वादी के ग्राम का क्षेत्राधिकार है, के कांस्टेबिलों को रास्ते में चोटिल को अस्पताल ले जाते समय मिलना स्वीकार किया है, परन्तु इस सम्बन्ध में विवेचक पी0 डब्लू0 6 द्वारा प्रतिपरीक्षा में कथन किया गया है कि- **घटना के समय परशदेपुर रिपोर्टिंग चौकी के अंदर पड़ता है। ...कां0 बैजनाथ यादव दिनांक 27.08.2007 समय 5.00 बजे सुबह ग्राम अटावा गांव जहाँ घटना स्थल है, को रवाना हुए। एस0 आइ0 एस0 के0 दीक्षित ने अपनी कायमी में जी0 डी0 में तस्किरा किया है कि अटावा गांव के किसी ने छोटे सिंह के भतीजे को गाली मार दिया है। अतः सूचना करीब 12/12 बजे किसी ने पवन मोबाइल में मामूर कां0 सुरेन्द्र नाथ चौधरी व कां0 रामबहादुर ओझा के ग्राम अटावा पहुंचे तो मालूम हुआ कि छोटे सिंह के भतीजे अमित को किसी ने गोली मार दिया है, जो घायल अवस्था में घर पर था, जिस इलाज हेतु गाड़ी में कां0 रामबहादुर ओझा उसके घर वालों के साथ रायबरेली सदर हेतु रवाना किया। ...कां0 रामबहादुर ओझा की वापसी दिनाँक 27.08.2007 को शाम पाँच बजे जी0 डी0 में अंकित है, जिसमें यह भी अंकित है कि ग्राम अटावा में अमित सिंह को किसी ने गोली मार दिया है, जिनको घायल अवस्था में गांव वालों व उसके घर वालों के साथ जिला अस्पताल ले गये, जहाँ पर उसकी मृत्यु हो गयी।**

68- इस प्रकार अभियोजन की ओर से परीक्षित कराये गये उपरोक्त साक्षीगण द्वारा की गयी स्वीकारोक्तियों के आधार पर दिनांक 27.08.2007 समय 2.45 बजे प्रातः वादी चन्द्रकेश

सिंह की उपस्थिति थाने पर पहुंचकर प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने के सम्बन्ध में उपरोक्त नजीरों में प्रतिपादित सिद्धान्तों के प्रकाश में संदेहास्पद हो जाती है, जिसके फलस्वरूप उपरोक्त नजीरों में प्रतिपादित सिद्धान्तों को दृष्टिगत मुकदमा अपराध संख्या व अन्य चिक एफ 0 आइ 0 आर 0 का विवरण पंचायतनामा व पंचायतनामा के साथ प्रेषित अन्य पुलिस प्रपत्रों व पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उल्लेख न किये जाने व प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 27.08.2007 के उपरांत अत्यधिक देरी से दिनांक 11.09.2007 को सम्बन्धित मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रेषित की जाने के फलस्वरूप प्रस्तुत प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्शाये गये समय पर, दर्शाये गये समय के बाद दर्ज किया जाना स्पष्टतः परिलक्षित होता है।

69- अभियुक्तगण की ओर से एक बचाव यह भी लिया गया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट वादी द्वारा अभियुक्तगण अजय सिंह व संजय सिंह उर्फ पिन्टू के विरूद्ध ही दर्ज करायी गयी है, परन्तु वादी पी0 डब्लू0 1 व अन्य साक्षीगण द्वारा धारा 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता के बयानों में 4 अभियुक्तगण द्वारा प्रश्नगत घटना को कारित किया जाना भी बताया है, जिसकी पुष्टि विवेचक द्वारा वादी व अन्य गवाहान की निशानदेही पर तैयार नक्शा नजरी से भी होती है, क्योंकि विवेचक पी0 डब्लू0 6 द्वारा तैयार किये गये नक्शा नजरी घटना स्थल प्रदर्श क-7 में दो मुल्जिमों को उत्तर ओर व दो मुल्जिमों को पूरब की ओर भागते हुए गवाहान द्वारा देखा जाना नक्शा नजरी प्रदर्श क-7 में चिन्हित किया गया है। इसके अतिरिक्त पी0 डब्लू0 6 द्वारा उक्त नक्शा नजरी प्रदर्श क-7 को वादी की निशानदेही पर तैयार किया जाना बताया गया है, परन्तु विवेचक साक्षी पी0 डब्लू0 6 ने प्रतिपरीक्षा में इस सम्बन्ध में यह कथन किया है कि - **वादी मुकदमा का बयान पर्चा नं0 1 में घटना के दिन ही लिया था। इस साक्षी ने मुझे बयान दिया था कि हम लोगों ने भी दो आदमी पूरब व दो आदमी उत्तर गांव की ओर भागते देखा था, जो उत्तर गेट की ओर भागे। उनमें संजय उर्फ पिन्टू व लालता सिंह रहे। परन्तु पूरब की ओर कौन गया, उसको मैं पहचान नहीं पाया। लालता से करीब दो तीन महीने पहले मारपीट हुयी थी, जिसमें लालता ने मारा था, जिसका मुकदमा चल रहा है। पूरब भागने वाले लोगों में मुझे शक था कि अजय रहा होगा। मैं अस्पष्ट नहीं देख पाया था। मेरी भतीजी आरती ने भी स्पष्ट रूप से संजय उर्फ पिन्टू व लालता को देखा था तब मुझे विश्वास हुआ कि अजय का नाम गलतफहमी में लिखा दिया।**

70– दौरान विवेचना गवाह चन्द्रकेश ने मुझे यह बात बतायी थी कि मुझे शक था अजय रहा होगा। मैं स्पष्ट नहीं देख पाया था। अजय का नाम गलतफहमी में लिखा दिया है। इसी प्रकार विवेचक साक्षी पी0 डब्लू0 6 ने प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया है कि गवाह आरती सिंह ने दौरान विवेचना 28.08.2007 को मुझको अजय सिंह का नाम गोली चलाने वाले व्यक्तियों में नहीं लिया था। लालता सिंह का नाम बताया था। उक्त साक्षी ने स्वयं एवम्

चन्द्रकेश बहादुर द्वारा छत से बदमाशों को भागते हुए देखने की बात बतायी थी। नीचे उतरकर बरामदे का मेन गेट खोलकर अभियुक्त के भागने वाली बात नहीं बतायी थी। यह सही है कि मुझे दौरान विवेचना अजय सिंह की संलिप्तता नहीं पायी गयी। यह भी सही है कि किसी भी अभियुक्त के पास से किसी वस्तु की बरामदगी नहीं हुयी।

71– उक्त के सम्बन्ध में वादी पी0 डब्लू0 1 ने प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि– **गोली चलने के बाद छत से हम सभी लोग आ गये। जब हम लोग छत से नीचे आये। हमारे पिता पहले से ही जग रहे थे। बरामदे में जब हम लोग आये तो मुल्जिमान 50–25 मीटर लगभग पूरब तरफ रामगोपाल के खेत की तरफ जा चुके थे। मुल्जिमान चेहरे पर कुछ बांधे नहीं थे, चेहरा नहीं छिपाये थे।**

72– इसी प्रकार उक्त के सम्बन्ध में पी0 डब्लू0 3 ने प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि– **चन्द्रकेश का और मेरा व संजय का पुराने घर मिले हुए हैं। घटना के समय चन्द्रकेश के घर की महिलायें, लड़के बच्चे पुराने मकान में रहते थे। नया मकान पूरा नहीं बना था। घटना की शोरगुल व चिल्लाहट पर घटना स्थल पर चन्द्रकेश की भतीजी आरती व संध्या व उनके घर के और लोग मेरे घर व अगल बगल के लोग घटना स्थल पर साथ पहुंचे थे। घटना स्थल पर जब पहुंचे थे, तब चोटहिल मृतक अमित चोटहिल हालत में खून से लतफथ जमीन पर पड़ा था। मृतक के बाबा सत्य नारायन सिंह चिल्ला रहे थे कि गांव के लालता सिंह ने मेरे नाती को गोली मारी है। घटना के बाद जब हम लोग पहुंचे थे तो घटना स्थल पर मृतक के घर का उसके बाबा सत्य नरायन सिंह के अतिरिक्त कोई अन्य नहीं थे। तब मैं, दिलीप सिंह, राम गोपाल सिंह, चोटहिल अमित को लेकर जिला अस्पताल रायबरेली आये थे।**

73– उक्त के सम्बन्ध में पी0 डब्लू0 7 ने प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि– **छत का जीना मेरे आंगन पर उतरता है। मैं छत से जीने के रास्ते पहले आंगन आयी। आंगन से आकर बाहर का दरवाजा खेालकर बरामदे में गयी। इस मुकदमे में पुलिस ने मेरे गांव की लालता सिंह को पकड़ा था और वह जेल गये थे। यह मुझे नहीं मालूम है। किसी ने फोन किया था। उसी फोन पर पुलिस आ गयी थी और अमित को गाड़ी से अस्पताल ले गयी थी।**

74– इसी प्रकार पी0 डब्लू0 8 ने भी प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि– **मैंने दौरान विवेचना, दिनाँक 28.08.2007 को विवेचना अधिकारी को यह बयान नहीं दिया था कि ''मैं व मेरे चाचा छत पर से देखे कि मेरे बरामदे से निकल कर गांव के संजय सिंह उर्फ पिन्टू व लालता पुत्र सन्तबक्श सिंह ... भागे।''**

75– **यह सही है कि हम लोगों के पुराने घर से सटा अभियुक्तगण का घर है और हम लोगों के पड़ोस में लालता सिंह का मकान है। यह सही है कि मेरे नये घर के पूरब तरफ**

रामगोपाल का खेत है और पूरब तरफ सड़क के पास लालता सिंह का मकान है।

76– यह सही है कि हम लोग पहले छत से सीढ़ी से नीचे आंगन में आये थे, फिर आंगन से बाहर लगा दरवाजा खोलकर हम लोग बरामदे में आये थे। यह सही है कि घटना वाली रात में खाना खाने के बाद समय लगभग 9.30 बजे रात में सो गये थे। स्वयं कहा लेट गये थे, फिर कहा 10 से 5 मिनट बाद सो गये थे। मुझे रात में गोली की आवाज नहीं सुनायी पड़ी। मैं चाचा के आवाज पर जगी थी।

77– उपरोक्त के आधार पर अभियुक्तगण की ओर से यह बचाव लेने का प्रयास किया गया है कि अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित कराये गये साक्षीगण के धारा 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता के बयानों को विधि के सुस्थापित सिद्धान्तों के अनुसार विरोधाभाष व सम्पुष्टि हेतु उपयोग किया जा सकता है और प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन साक्षीगण पी0 डब्लू0 1, पी0 डब्लू02, पी0 डब्लू0 3, पी0 डब्लू0 7 व पी0 डब्लू0 8 के द्वारा न्यायालय के समक्ष बढ़ोत्तरी कर धारा 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता से भिन्न व विरोधाभाषी बयान दिये हैं, जिनकी पुष्टि विवेचक द्वारा की गयी स्वीकारोक्तियों से होती है और उक्त के आधार पर धारा 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता के बयानों में वादी व साक्षीगण द्वारा प्रश्नगत घटना को 4 व्यक्तियों द्वारा किये जाने का अभियोजन कथानक होना पाया जाता है, जिसकी पुष्टि इस तथ्य से भी होती है कि उक्त बयानों में नामित एक अन्य अभियुक्त लालता प्रसाद को विवेचक द्वारा इसी घटना के सम्बन्ध में गिरफ्तार भी किया गया और बाद में उसकी नामजदगी गलत पाये जाने व उसके विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य न मिलने पर ही उसे विवेचक द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में रिहा किया गया।

78– इसी प्रकार अभियोजन साक्षीगण द्वारा धारा 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता के बयानों में प्रारम्भ में वादी पी0 डब्लू0 1 व साक्षीगण पी0 डब्लू0 7 व पी0 डब्लू0 8 द्वारा प्रश्नगत घटना के अभियुक्तगण को घटना कारित कर छत से देखा व पहचान किया जाना बताया है, परन्तु विवेचक पी0 डब्लू0 6 द्वारा की गयी स्वीकारोक्तियों के आधार पर इन सभी साक्षीगण द्वारा घटना छत से ही देखा जाना व पहचान किया जाना विवेचक को धारा 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता के बयानों में बताये जाने की पुष्टि होती है, परन्तु न्यायालय के समक्ष इन तीनों साक्षीगण द्वारा दो गोली की आवाज सुनकर जीने से नीचे आकर बरामदे का दरवाजा खोलकर बाहर आने पर अभियुक्तगण को मौके से भागते हुए देखा जाना बताया गया है।

79– उक्त के संदर्भ में अभियुक्तगण की ओर से निम्नलिखित नजीर प्रस्तुत की गयी हैंः–

1– **2020(111) ACC Page 904 Supreme Court Parvat Singh & Ors. vs. State of M.P.** in which Hon'ble Supreme Court has laid down that it is

well settled pro– position of law that statement recorded under Section 161 Cr.P.C. is inadmissible in evidence and can't be relied upon or used to convict the accused and as per the settled proposition of law, the statement recorded under Section 161 Cr.P.C. can be used only to prove the contradictions and/or omissions but the benefit of material contradictions, omissions and improvements must go in favour of the appellants/accused.

80– इस प्रकार उपरोक्त नजीर में प्रतिपादित सिद्धान्त के दृष्टिगत प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन साक्षीगण पी0 डब्लू0 1, पी0 डब्लू0 7 व पी0 डब्लू0 8 द्वारा धारा 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता के बयानों में बढ़ोत्तरी कर न्यायालय के समक्ष बयान दिया जाना पूर्णतः साबित है और विवेचक पी0 डब्लू0 6 द्वारा दौरान विवेचना इन साक्षीगण के बयानों की पुष्टि की गयी है, जिसके अनुसार न्यायालय के समक्ष दिये गये बयानों के विपरीत जैसा कि विवेचक पी0 डब्लू0 6 द्वारा नक्शा नजरी प्रदर्श क–7 में चिन्हित किया गया है, प्रस्तुत प्रकरण में 4 अभियुक्तगण द्वारा प्रश्नगत घटना को अंजाम दिया जाना प्रारम्भ में बताया जाना व दो मुल्जिमान का उत्तर ओर व दो मुल्जिमान का पूरब ओर भागते देखा जाना भी पूर्णतः साबित है। इसी प्रकार साक्षी पी0 डब्लू0 1, 7 व 8 द्वारा प्रश्नगत घटना को अपने धारा 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता के बयानों में छत से देखा जाना व न्यायालय के समक्ष जीने से नीचे उतरकर बरामदे का दरवाजा खोलकर बाहर आने पर अभियुक्तगण को देखा जाना बताया गया है और उक्त के आधार पर एक अन्य अभियुक्त लालता प्रसाद को विवेचक द्वारा गिरफ्तार किया जाना व साक्ष्य न पाये जाने पर अभियुक्त लालता प्रसाद को रिहा कर दिये जाने की पुष्टि होती है और दौरान विवेचना चौथे अभियुक्त के सम्बन्ध में कोई शिनाख्त या जानकारी न होना भी पूर्णतः साबित है, जिसके फलस्वरूप समस्त अभियोजन कथानक ही नहीं, साक्षीगण पी0 डब्लू0 1, 7 व 8 की प्रश्नगत घटना के समय घटना स्थल पर उपस्थिति भी संदेहास्पद हो जाती है।

81– अभियुक्तगण की ओर से एक बचाव प्रश्नगत घटना पर प्रकाश का कोई श्रोत न होने का भी, लेने का प्रयास किया है और यह भी प्रयास किया है कि यदि चांदनी रात होना मान भी लिया जाता है तो छत से अभियोजन साक्षीगण का अभियुक्तगण को देखा जाना सम्भव होना नहीं माना जा सकता है। इस संदर्भ में अभियुक्तगण की ओर से निम्नलिखित नजीर प्रस्तुत की हैः–

1– **2024(128) ACC Page 217 Mazid & Ors. vs. State of U.P.,** In

this very ruling the Hon'ble High Court has also held that in the absence any evidence having placed on record regarding existence of inverter, it was not open for the trial court to infer that sufficient light existed at the spot on account of inverter.

82– घटना स्थल व घटना के समय प्रकाश के श्रोत की बाबत साक्षी पी0 डब्लू0 1 ने प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि:–**नये घर में बिजली का कनेक्शन नहीं था। बिजली घटना के 4–5 महीना से जलती थी। मेरे घर के उत्तर तरफ जो खड़िन्जा आया है। उसके किनारे बायें साइड में बिजली का पोल है। वह बिजली का पोल जिससे मेरे घर में तार आया है, दरोगा जी को दिखा दिया था। ...इनवर्टर की बैटरी बिजली से चार्ज होती है। ... मैंने विवेचनाधिकारी को अपनी इनवर्टर व बैट्री दिखाया था। मैंने यह बात दरोगा जी को बताया था कि लाइट चले जाने पर इनवर्टर की लाइट जल जाती थी। हमें ध्यान नहीं है घटना के समय इनवर्टर बैट्री की लाइट जल रही थी। मैं 5–6 तक पढ़ा हूँ। ... जिस पर मेरा भतीजा लेटा था, उस पर खून लगा था। खून चारपायी के नीचे चू रहा था। मृतक पैंट व टीसर्ट पहने था। मृतक मेरे भतीजे को टीसर्ट में बायें तरफ गोली के निशान का दो छेद था।**

83- इसी प्रकार इस सम्बन्ध में अभियोजन साक्षी पी0 डब्लू0 2 ने प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि:- **घटना के बाद जब रात में मैं पहुचा तो वहाँ बिजली नहीं थी। घटना के समय दिनाँक 26.08.2007 सायं 6.00 बजे से दिनाँक 27.08.2007 को सुबह 5.00 बजे तक बिजली नहीं थी। घटना वाले मकान में घटना के समय बिजली नहीं थी, न ही कोई लाइन ही खिंची थी।**

84– इस सम्बन्ध में पी0 डब्लू0 7 ने भी प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि– **..चारपाई पर कथरी बिछी थी। अमित की चारपायी के बगल में ससुर सत्य नरायन भी लेटे थे। ...घटना के समय मेरे घर पर बिजली का कनेक्शन था, फिर कहा कि उस समय नया नया घर था और बिजली का कनेक्शन नहीं था। मेरा एक पुराना घर गांव के अंदर है। मेरे इस घर के बगल में मुल्जिमान का घर है।**

85– इसी प्रकार पी0 डब्लू0 8 आरती उर्फ संध्या सिंह ने भी प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि– **यह सही है कि घटना के समय एक हफ्ता दिन में लाइट आती थी, एक हफ्ता रात में लाइट आती थी। यह सही है कि घटना वाले दिन में लाइट रहने का शेड्यूल था।**

86– घटना स्थल से खून आलूदा मिट्टी लेने व इनवर्टर के सम्बन्ध में विवेचक पी0 डब्लू0 6 ने प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि– **घटना स्थल के निरीक्षण में वादी के मकान में कोई बिजली का कनेक्शन नहीं और न आसपास बिजली के खंभे थे। मुझे बरामदे**

या मकान पर जहाँ जहाँ पर निरीक्षण किया और नक्शा नजरी बनाया, कहीं पर भी कोई स्विच बोर्ड बिजली का नहीं मिला। वादी द्वारा बताया गया था बैटरी से बल्ब जल रहा था। कोई बैटरी नहीं थी और न मैंने बैटरी की कोई फर्द तैयार किया।

87– इस प्रकार अभियोजन साक्षीगण द्वारा की गयी उपरोक्त स्वीकारोक्तियों से यह तथ्य पूर्णतः साबित है कि अभियोजन साक्षीगण द्वारा प्रश्नगत घटना के समय अभियुक्तगण की पहचान हेतु प्रकाश का पर्याप्त श्रोत होना दर्शाने का प्रयास अवश्य किया है, परन्तु अभियोजन पक्ष प्रश्नगत घटना के समय मौके पर प्रकाश का अभियुक्तगण की पहचान हेतु पर्याप्त श्रोत होना साबित करने में पूर्णतः असफल रहा है।

88– अभियुक्तगण की ओर से निम्नलिखित नजीरें भी उद्धृत की गयी हैंः–

1. **2005 Supreme Court Cases (Criminal) 1050 Raja Ram vs. State of Rajasthan** in which Hon'ble Supreme Court has held that where the prosecution witness has not supported the prosecution case and has not been declared hostile than evidence of such witness if relied upon by the defence would be binding on prosecution.

2. 2018 (2) ACC Page 438 Ram Lakhan vs. State of U.P. in which Hon'ble Allahabad High Court has held that where the prosecution has failed to declare the prosecution witnesses as hostile than the testimony of such witnesses is binding on the prosecution and defence is not precluded from relying on their evidence as their testimony is binding on the prosecution. With regard to above, the Hon'ble Allahabad High Court has also held that when direct evidence is not reliable and the contradictions in the testimony of prosecution witnesses go to the root of the matter in such cases motive becomes relevant for establishing the prosecution case. The Hon'ble Allahabad High Court has also quoted a previous judgment of State of U.P. vs. Kishanpal & Ors. 2009(64) ACC Page 394 Supreme Court where it has been held that the motive may be considered as a circumstance which is relevant for assessing the evidence but if the evidence is clear and unambiguous and the circumstances prove the guilt of the accused, the same is not weakened even if the motive is not a very strong one. It is also settled law that the motive loses all its importance in a case where direct evidence of eye-witnesses is available, because even if there may be a very strong motive for the accused persons to commit a particular crime, they cannot be convicted if the evidence of eye-witness is not convincing. In the same way even if there may not be an

apparent motive but if the evidence of the eye-witnesses is clear and reliable, the absence or inadequacy of motive cannot stand in the way of conviction.

89- माननीय उच्चतम न्यायालय व माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त प्रतिपादित सिद्धान्तों के प्रकाश में अभियोजन पक्ष को इस तथ्य व तर्क का कोई लाभ नहीं दिया जा सकता है कि अभियोजन साक्षीगण पी0 डब्लू0 2 व 3 मात्र पंचायतनामे के गवाह हैं। अतः उनके द्वारा प्रतिपरीक्षा में की गयी स्वीकारोक्तियों का कोई लाभ अभियुक्तगण के पक्ष में नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि स्वीकृत रूप से अभियोजन पक्ष द्वारा साक्षीगण पी0 डब्लू0 2 व 3 को पक्षद्रोही घोषित नहीं कराया गया है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि अभियोजन साक्षी पी0 डब्लू0 2 द्वारा की गयी स्वीकारोक्तियों से भी अभियोजन साक्षीगण पी0 डब्लू01, 7 व 8 की घटना स्थल वाले मकान की छत पर उपस्थिति व उनके द्वारा अभियुक्तगण को देखा जाना भी संदेहास्पद हो जाता है, क्योंकि अभियोजन साक्षी पी0 डब्लू0 2 द्वारा प्रतिपरीक्षा में यह कथन भी किया गया है कि- **चन्द्रकेश के घर से जयकेश का घर मिला हुआ है। घटना के समय चन्द्रकेश का मकान पूरा बना हुआ नहीं था, बन रहा था। घटना के समय चन्द्रकेश के घर के लोग पुराने मकान में रहते थे। रात में चन्द्र केश के पिता सत्य नरायन व उनका नाती अमित सिंह नये वाले मकान के बरामदे में लेटते थे। ...जब मैं पोस्टमार्टम के बाद गांव वापस लौटा तब गांव में चर्चा हुयी थी कि मृतक को मुल्जिमानों ने मारा है। जब मैं सबसे पहले घटना स्थल पर पहुंचा था तब कोई चर्चा नहीं थी कि किसने मारा है। मुल्जिम अजय प्रताप सिंह घटना के समय पुलिस विभाग में कार्यरत था।**

90- इसी प्रकार इस सम्बन्ध में पी0 डब्लू0 3 ने भी प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि- <u>**मेरे गांव के लालता सिंह पुत्र सन्तबक्स सिंह भी रहते हैं। इस घटना में मेरे गांव के लालता सिंह भी जेल में दो ढाई महीना रहे थे। मृतक के बाबा जो मृतक के पास घटना के समय लेटे थे, उन्होंने घटना लालता सिंह द्वारा किये जाने तथा पुलिस के आने पर लालता सिंह का नाम बताया था तभी पुलिस लालता सिंह को पकड़ कर ले गयी थी।**</u>

91– अभियुक्तगण द्वारा इस आधार पर भी अभियोजन साक्षीगण के साक्ष्य व विवेचक की कार्यप्रणाली को चुनौती दी गयी है कि विवेचक द्वारा प्रश्नगत घटना के उपरांत अत्यधिक देरी से अभियोजन साक्षीगणों के बयान लेखबद्ध किये गये हैं, जो विधि के सिद्धान्तों के विपरीत है, जैसा किः– **(2006) Supreme Court Cases (Criminal) Page 549 Gayadeen vs. State of M.P.** the Hon'ble Supreme Court has held that where the prosecution witnesses who were examined to prove that accused used to beat his deceased wife, inspite of being available if not questioned by IO with in a reasonable time i.e. while one of them was questioned after 20–

22 days the other was questioned after 8 days of the incident hence there was every possibility that they were planned witnesses.

92– प्रस्तुत प्रकरण में विवेचक द्वारा वादी का बयान तो प्रश्नगत घटना के दिन ही लिया जाना बताया है, परन्तु अभियोजन के अन्य साक्षीगण, विशेषकर अन्य चक्षुदर्शी साक्षीगण के बयान विवेचक द्वारा देरी से दर्ज किये गये हैं और उक्त देरी का कोई युक्तियुक्त आधार व कारण विवेचक द्वारा संदर्भित नहीं किया गया है।

93– अभियोजन कथानक के अनुसार प्रश्नगत घटना 12.30 बजे रात्रि की होना बताया गया है, परन्तु पत्रावली पर उपलबध साक्ष्य व पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार प्रश्नगत घटना का 12.30 बजे होना भी संदेहास्पद हो जाता है और अभियोजन साक्षीगण के अनुसार प्रश्नगत घटना में मात्र 2 फायर होना व 2 फायर की आवाज भी जहाँ सुना जाना बताया है, वहीं इस सम्बन्ध में अभियोजन साक्षीगण द्वारा यह कथन किया गया है कि– **तब तक ताबड़तोड़ दो फायर की आवाज सुनायी दी।** इसी प्रकार इस सम्बन्ध में पी0 डब्लू0 1– चन्द्रकेश सिंह ने प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि–**घटना की रात लगभग 9.00–9.30 बजे हम लोग खाना खाकर सो गये थे। मेरा भतीजा मृतक व मेरे पिता जी बरामदे में उत्तर तरफ सो गये। हम सभी परिवार के लोग छत पर सो गये। आंगन में भाभी अकेली सोयी थी। बाकी सब सदस्य छत पर सोये थे,** जिसके अनुसार मृतक व अन्य परिवारजन द्वारा 9.00–9.30 बजे से पहले ही रात्रि का भोजन कर लिया जाना प्रमाणित होता है, परन्तु चिकित्सक साक्षी पी0 डब्लू04 डा0 एम0 के0 गुप्ता ने प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि–**शव परीक्षण के समय मुझे 3 प्रवेश घाव मिले थे, यानी 3 फायर की चोटें थी। चोट नं0 1 के ट्रैवलिंग आफ बुलेट की ट्रैक का उल्लेख नहीं किया है। चोटहिल को ये चोटें खड़े या बैठे होने की पोजीशन पर आ सकती हैं। यदि मारने वाला ऊँचाई पर हो और चोट खाने वाला उससे नीचे पर खड़ा हो तो ये चोटें आ सकती हैं। ... मृतक मृत्यु के पूर्व लगभग घंटे/आधे घंटे पूर्व भोजन किया होगा।**

94– इस प्रकार अभियोजन साक्षीगण द्वारा की गयी उपरोक्त स्वीकारोक्तियों से यह तथ्य पूर्णतः साबित है कि जहाँ अभियोजन साक्षीगण द्वारा दो फायर की आवाज ही सुनना बताया गया है, वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट व पी0 डब्लू0 4 के साक्ष्य के अनुसार मृतक अमित के शरीर पर 3 आग्नेय शस्त्र की प्रवेश घाव मिले हैं और इसी प्रकार जहाँ अभियोजन साक्षीगण द्वारा 9.00–9.30 बजे सो जाना बताया है, उक्त के अनुसार भी प्रश्नगत घटना का 12.30 बजे घटित होना संदेहास्पद हो जाता है, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श क–4 व चिकित्सक साक्षी पी0 डब्लू0 4 के अनुसार मृतक ने घटना से घंटे–आध घंटे पूर्व ही भोजन किया होगा, जिसके फलस्वरूप इस आधार पर प्रश्नगत घटना का 12.30 बजे घटित होना

प्रमाणित नहीं होता है।

95− अभियुक्तगण की ओर से अपने तर्कों के समर्थन में निम्नलिखित नजीरें भी प्रस्तुत की हैं:−

1. **2004(1) JIC 755 (SC) Page 755 Badam Singh vs. State of Madhya Pradesh** in which Hon'ble Supreme Court has held that mere fact that prosecution witnesses were consistent in what they say is not a sure guarantee of their truthfulness if court comes to a conclusion that conduct of witnesses is such that it renders case of prosecution doubtful or incredible court may reject their case and as far as motive is concerned where ocular testimony appears to be suspect existence or absence of motive acquires some significance regarding probability of prosecution case.

2. **2004 Supreme Court cases Criminal Page 75 State of Punjab vs. Harbans Singh & Anr,** in which Hon'ble Supreme Court has held that where as per the prosecution case the prosecution witnesses held to carry the injured to the hospital and remained with them but the prosecution have not examined any such witness and if the examined witnesses also help to carry the injured person to primary health center but no blood-strained clothes were recovered from the possession of the witnesses which makes the presence of prosecution witnesses at the place of occurrence doubtful.

3. **1996 Supreme Court cases Criminal Page 1028 Alil Mollah vs. State of West Bengal** in which Hon'ble Supreme Court has held that conviction can be based on the testimony of the single eye-witness if he is wholly reliable and corroboration is required when he is only partly reliable and conduct of the witness in not telling anyone about the occurrence till next day found unnatural, creating an impression that he had not witnessed the incident.

96− माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उपरोक्त नजीरों में प्रतिपादित सिद्धान्तों के दृष्टिगत अभियोजन साक्षीगण पी0 डब्लू0 1, 2, 3, 7 व 8 तथा विवेचक पी0 डब्लू0 6 द्वारा की गयी उपरोक्त स्वीकारोक्तियों के प्रकाश में अभियोजन साक्षीगण पी0 डब्लू0 1, 7 व 8 की प्रश्नगत घटना के समय घटना स्थल पर उपस्थिति संदेहास्पद हो जाने व स्वीकृत रूप से प्रश्नगत घटना का कोई चक्षुदर्शी साक्षी अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षित न कराये जाने व एकमात्र चक्षुदर्शी साक्षी जो वादी के पिता व मृतक के दादा हैं और स्वीकृत रूप से प्रश्नगत घटना के समय घटना स्थल पर ही मृतक के बराबर वाली चारपायी पर सो रहे थे, को अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षित न कराये जाने के फलस्वरूप अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण अजय प्रताप सिंह व संजय प्रताप सिंह उर्फ पिन्टू द्वारा दिनाँक 26/27.08.2007 की

रात 12.30 बजे वादी के घर में स्थित बरामदे में सो रहे वादी के भतीजे अमित की गोली मारकर हत्या कारित किया जाना संदेह से परे साबित करने में अभियोजन पक्ष पूर्णतः असफल रहा है। निष्कर्षतः अभियुक्तगण संजय प्रताप सिंह उर्फ पिन्टू व अजय प्रताप सिंह लगाये गये धारा 302 सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध के आरोप हेतु दोषमुक्त किये जाने योग्य हैं।

आदेश

अभियुक्तगण संजय प्रताप सिंह उर्फ पिन्टू को सत्र परीक्षण संख्या 39/2008 राज्य प्रति संजय प्रताप सिंह उर्फ पिन्टू में तथा अभियुक्त अजय प्रताप सिंह को, सत्र परीक्षण संख्या 277/2008 राज्य प्रति अजय प्रताप सिंह में, उनके विरूद्ध लगाये गये आरोप अंतर्गत धारा 302 सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता, अपराध संख्या **412/2007**, थाना डीह, जिला रायबरेली से, दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्तगण जमानत पर हैं एवं न्यायालय में उपस्थित हैं। उन्हें अभिरक्षा में लेने की आवश्यकता नहीं है। अभियुक्तगण के बंधपत्र निरस्त किये जाते हैं तथा जामिनदारों को उनके दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

अभियुक्तगण संजय प्रताप सिंह उर्फ पिन्टू व अजय प्रताप सिंह को निर्देशित किया जाता है कि वह धारा 437 ए दण्ड प्रक्रिया संहिता के अनुपालन में 15 दिन के अन्दर बीस–बीस हजार रूपये के निजी बन्धपत्र तथा उतनी ही धनराशि की दो–दो जमानतें दाखिल करना सुनिश्चित करें, जो अग्रिम 6 माह तक प्रभावी रहेंगी।

निर्णय की एक प्रति सत्र परीक्षण संख्या 277/2008 राज्य प्रति अजय प्रताप सिंह पर रखी जाए।

दिनाँक– 14.07.2026

(अमित पाल सिंह)
I.D. No. UP05691
सत्र न्यायाधीश,
रायबरेली।

यह निर्णय आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके सुनाया गया।

दिनाँक– 14.07.2026

(अमित पाल सिंह)
I.D. No. UP05691
सत्र न्यायाधीश,
रायबरेली।

Sripal Singh
Stenographer

Digitally signed by AMIT PAL SINGH
Date: 2026.07.15 13:42:19 IST
Reason: Judgment
Location: District and Sessions Court Raebareli